उत्तराखण्ड पुलिस

महिला यौन अपराध के अभियोगों की विवेचना हेतु SOP

2022

अनुक्रमणिका

क्र.सं.	शीर्षक	पृष्ठ संख्या
1	प्रस्तावना	1 - 2
2	महिला अपराध सम्बन्धित प्राविधानों में वर्ष 2013 एवं 2018 में हुए संशोधन।	3 - 9
3	महिला यौन अपराधों की विवेचना हेतु जारी एस0ओ0पी0।	10 - 28
4	SAEC KIT के उपयोग हेतु गाईडलाईन।	29 - 30
5	प्रदर्श को प्रयोगशाला भेजते समय ध्यान देने योग्य बातें।	31 - 32
6	अपराध पीड़िताओं का पुर्नवास।	33 - 45
7	महिलाओं के प्रति घटित साईबर अपराध।	46
8	पीड़ित महिलाओं की सहायता हेतु संबंधित विभागों की सम्पर्क सूची।	47- 48

संदेश

महिलाएं हमारे समाज के विकास में एक अहम भूमिका निभाती हैं। भारतीय संस्कृति में नारी के सम्मान को विशेष महत्व दिया गया है। संस्कृत में एक श्लोक है:– ''यस्य पूज्यंते नार्यस्तु तत्र रमन्ते देवता''। अर्थात जहां नारी की पूजा होती है, वहां देवता निवास करते हैं। हमारे देश में महिलाओं को पुरूषों के समान अधिकार प्राप्त हैं। पीड़ित को न्याय व अपराधियों को सजा दिलाना पुलिस का मुख्य कर्तव्य है। महिलाओं के साथ घटित होने वाले अपराध अत्यन्त गम्भीर व निन्दनीय हैं। इस प्रकार के अपराध समाज के लिए चिन्तन का विषय है। महिलाओं के विरूद्ध घटित अपराधों के त्वरित व सफल निस्तारण हेतु नियमानुसार प्रभावी कार्यवाही किया जाना अत्यन्त आवश्यक है।

अत्यन्त हर्ष का विषय है कि समय–समय पर कानूनों में संशोधन, मा0 उच्चतम व उच्च न्यायालय द्वारा निर्गत दिशा–निर्देशों एवं विधि विज्ञान प्रयोगशाला द्वारा अपनायी जा रही नवीनतम तकनीक को समाहित करते हुए शीलभंग, बलात्कार एवं पोक्सो के अभियोगों की विवेचना व अभियोजन में प्रभावी कार्यवाही किये जाने के उद्देश्य से उत्तराखण्ड पुलिस द्वारा एक पुस्तिका का प्रकाशन किया जा रहा है।

मुझे पूर्ण विश्वास है कि यह पुस्तिका उत्तराखण्ड पुलिस के विवेचकों के लिए मार्गदर्शक का कार्य करेगी। मैं उत्तराखण्ड पुलिस द्वारा प्रकाशित इस पुस्तिका के सफल प्रकाशन हेतु हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ।

अशोक कुमार, आई.पी.एस.
पुलिस महानिदेशक, उत्तराखण्ड

प्रस्तावना

महिलायें हमारे देश की करीब आधी जनसंख्या (48 percent) का प्रतिनिधित्व करती है। बदलते परिवेश में अपराधों विशेषतः महिला संबंधी अपराधों में बड़ा बदलाव देखने में आया है, जिसमें तकनिकी का प्रयोग महिलाओं के विरूद्व किया जा रहा है। ऐसे में महिला संबंधी अपराधों की प्रभावी रोकथाम एवं उनकी विवेचना में गुणवत्ता लाने हेतु सतत् प्रयत्नशील रहना नितान्त आवश्यक है। अतः इस संबंध में समस्त विवेचकों को महिलाओं के विरूद्व कारित अपराधों की विवेचना में गुणवत्तापरक सुधार किये जाने की आवश्यकता है।

महिला अपराध :–

प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी महिला के प्रति शारीरिक या मानसिक उत्पीड़न को महिला अपराध की श्रेणी में रखा जाता है।

महिला अपराधों की रोकथाम एवं महिलाओं को पूर्ण न्याय दिलाये जाने हेतु समय–समय पर विभिन्न नए कानूनों को प्रख्यापित और संशोधित किया गया है, जिन्हें निम्नलिखित दो श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है:–

(ए) भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) और

(बी) विशेष और स्थानीय कानून (एसएलएल)।

- Indian Penal Code
- Protection of Children from Sexual Offences Act 2012
- Domestic Violence Act 2005
- Dowry Prohibition Act 1961
- Indecent Representation of Women (Prohibition) Act 1986
- The Muslim Women (Protection of Rights on Marriage) Act 2019
- Information Technology Act 2000
- Sexual Harassment of Women at Workplace (Prevention, Prohibition and Redressal) Act 2013
- The Hindu Adoption & Maintenance Act 1956
- The Minimum Wages Act 1948
- Pre-Conception and Pre-Natal Diagnostic Techniques Act 1994
- The Medical Termination Pregnancy Act 1971
- The Equal remuneration Act 1961
- Immoral Traffic Act 1956
- The Factories Act 1948
- The Hindu Succession Act 1956
- The Maternity Benefit Act 1961
- Family Court Act 1984
- Child Marriage Restraint Act 1929

महिला संबंधित अपराधों में वर्ष 2013 में हुये संशोधन

Section	Before amendment	After amendment (New Edition)
	IPC Amendments	
Sec 166 IPC	Public servent disobeying law, with intent to cause injury to any person	**sec 166A(a)(b)(c)** Public servent disobeying direction under law,and **166B** punishment for non treatment of victim
Sec 228A IPC	Disclosure of identity of the victim of certain offences i;e 376, 376A, 376B, 376C, 376D IPC	**sec 228A** Disclosure of identity of the victim of certain offence i;e 376, 376A, 376B, 376C, 376D, 376E IPC
Sec 326 IPC	Voluntarily causing grievous hurt by Dangerous Weapons or means	**sec 326A** (Voluntarily causing grievous hurt by **use of acid** etc) and 326B inserted (Voluntarily throwing or attempting to throw acid)
Sec 354 IPC	Assault or criminal force to women with intent to outrage her modesty	**sec 354A** (Sexual harassment and punishment for sexual harassment) (1)(2)(3), with **354B**,(Assault or use of criminal force to woman with intent to disrobe) **354C** (Voyeurism) and **354D** (Stalking)(1)(2)

Sec 370IPC	Buying or disposing of any person as a slave	**Sec 370(1)(2)(3)(4)(5)(6)(7),** Trafficking of person **370A (1)(2)** (Exploitation of a trafficked person)
Sec 375	**SEC 375** (Rape)- under 06 circumstances	**SEC 375**(Rape), under 5 bad-doing and 07 circumstances.
Sec 376, 376ABCD	Punishment for rape	**376,** 7 year up to life imprisonment and fine, for police officer public servent, teacher, guardian, rape with mentally physically disabeled victim- rigorous 10 years up to life imprisonment and fine **376A** (punishment for causing death or resulting in persistent vegetative state of victim), rigorous 20 years up to life imprisonment **376B** (Sexual intercourse by husband upon his wife duting separation., 2 to 7 years and fine **376C** (Sexual intercourse by a person in authority), rigorous 5 to 10 years and fine **376D** (Gang Rape) rigorous 20 years up to life imprisonment and fine **376E (**Punishment for repeat offenders) punishable to life imprisonment

CrPC Amendments		
Sec 26	Courts by which offences are triable	Rape cases shall be tried by a court presided over by a women
Sec 54A	Identification of person arrested	if victim is mentally or physically disabled then identification shall take place under supervision of judicial magistrate
Sec 154A	Information in cognizable cases	information given by the women against whome an offence under section 326a, 354, 354A, 354B, 354C, 354D, 376, 376A, 376B, 376C, 376D and 509 IPC is alleged to have been committed or attempted, then such information shall be recorded by a women police officer or any women officer.
Sec 160	Police Officers power to require attendance of witnesses	not applicable on male below 15 year or above 65 year or any women or mentally or physically disabled person
Sec 161	Examination of witness by police	women against whome an offence under section 326a, 354, 354A, 354B, 354C, 354D, 376, 376A, 376B, 376C, 376D and 509 IPC is alleged to have been committed or attempted, shall be recorded by a women police officer or any women officer.

Sec 164	Recording of confessions and statements	procedure for recording of statement of victim of section 326a, 354, 354A, 354B, 354C, 354D, 376, 376A, 376B, 376C, 376D and 509 IPC **Sec 164A** Medical examination of rape victim
Sec 197	Prosecution of Judges and public servents	no sanction shall be required in case of public servant accused of sec 166A, 166B, 354, 354A, 354B, 354C, 354D 354A, 354B, 354C, 354D, 370, 375, 376, 376A, 376C, 376D and 509 IPC
Sec 198	Prosecution of offences against marriage	No court shall take cognizance of an offence punishable under sec 376B where persons are in marital relationship.
Sec 357	Order to pay compensation	Sec 357B compensation payable by state govt under section 357A shall be in addition to the the payment of fine to the victim under section 326A or 376D IPC
		Sec 357C FREE MEDICAL TREATMENT TO THE VICTIM OF ACID ATTACK AND RAPE

Evidence Act		
Sec 53	In criminal cases, previous good character relevant	**Sec 53A** Evidence of character or previous sexual experience not relevant in certain cases
Sec 114	Court may presume existence of certain facts	**Sec 114A** Presumption as to absence of consent in certain prosecution for rape
Sec 119	Witness unable to communicate verbally	Witness unable to speak, may give his evidence in any other manner
Sec 146	Questions lawful in cross examination	in case of rape and attempt of rape, not permissible to put question about general immoral character or previous sexual experience of victim
POCSO Act		
Sec 4	Punishment for penetrative sexual assult 7 year up to life imprisonment	(a) 10 year up to life imprisonment (2)if victim is below 16 yr, 20 years up to life imprisonment (3) fine imposed shall paid to victim
Sec 6	Punishment for Aggravated penetrative sexual assault rigorous 10 year up to life imprisonment and fine	(1) 10 year up to life imprisonment (3) fine imposed shall paid to victim

Sec 14	Punishment for using child for pornographic purpose : 5 year to 7 year and fine sec 3-10 year up to life imprisonment and fine sec 5-rigorous life imprisonment and fine sec 7-6 year up to 8 year and fine sec 9-8 year to 10 year and fine	Punishment for using child for pornographic purpose : 5 year and fine, and in event of second or subsequent conviction with imprisonment to 7 years and fine whoever using child or children for pornographic purpose, also commit an offence sec 3 sec 5 sec 7 or sec 9, shall be punished for the said offence also in addition to the punishment for using child for pornographic purpose
Sec 15	Punishment for storage of pornographic material involving child 3 year or fine or with both	(1) whoever store or process pornographic material and fail to delet or destroy or report the same to the authority, shall be liable to fine of 5000 rs or subsequent offence with fine 10000 rs. (2) whoever store or process pornographic material for transmitting or propagating or displaying or distributing in any manner - 3 years or with fine or both (3) whoever store or process pornographic material for commercial purpose - 3 to 5 years or with fine or with both and in event of second or subsequent conviction- 5 to 7 years and fine

वर्ष 2018 में हुये संशोधन

IPC

166 A IPC :- This section deals with public servant disobeying directions under the law, and has three clauses. clause (c), is substituted with section 376AB, 376B, 376C, 376D, 376DA and 376DB.

228A IPC :- This section deals with disclosure of the identity of the victim of certain offences, and sub section 1 of this section was substituted with Section 376AB, 376B, 376C, 376D, 376DA, and 376DB.

Insertes Sections in Rape Offence in IPC :-

New added section	Crime	Punishment
376 AB	Rape with a girl who is under **12 years**	Minimun 20 years which may extend for life which shall mean imprisonment for the remainder of that person's natural life and with fine or with death.
376 DB	Gang rape with a girl who is under **12 years**	life imprisonment for the remainder of that person's natural life and with fine or **with death.**
376 DA	Rape with a girl who is under **16 years**	life imprisonment for the remainder of that person's natural life and with fine.

POCSO ACT 2012

In section 42 of the POCSO Act, 2012, for the figures and letters "376A, 376C, 376D", the figures and letters "376A, 376AB, 376B, 376C, 376D, 376DA, 376DB" shall be substituted.

CrPC

By the Criminal Amendment Act 2018 following sections of CrPC has been amended :- section 173, 374, 377, 438, 439 of Crpc.

बलात्कार के प्रकरणों में विवेचना एवं अभियोजन हेतु मानक संचालन प्रक्रिया (SOP)

इस SOP का उद्देश्य महिलाओं के विरूद्ध घटित यौन अपराधों में त्वरित एवं प्रभावी विवेचना के साथ–साथ अभियोजन की गुणवत्ता पर विशेष ध्यान देते हुए अपेक्षाकृत दोषसिद्धि दर को बढ़ाना है।

इस SOP के अन्तर्गत आने वाले प्रकरणों की श्रेणी :–

1. बलात्संग, धारा 376, 376 A, 376 AB, 376B, 376C, 376D, 376DA, 376DB, 376E भादवि।

2. यौन अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 की धारा 2 (1) (डी) के अंतर्गत बच्चों के विरूद्ध घटित प्रवेशन लैंगिक हमला / गुरूत्तर प्रवेशन लैंगिक हमला (Penetrative sexual assault/aggravated sexual assault)

3. शीलभंग, धारा 354, 354A, 354B, 354C, 354D भादवि।

क्रं0	कार्यवाही	समय–सीमा
01	**प्रथम सूचना प्रतिवेदन (FIR)** एफआईआर को तत्काल धारा 154 Cr.P.C के प्रावधानों के अनुसार पंजीबद्ध किया जाना चाहिए। एफआईआर महिला पुलिस अधिकारी या किसी महिला अधिकारी द्वारा दर्ज की जानी चाहिए। एफआईआर, एक महत्वपूर्ण दस्तावेज होने के कारण, बड़ी सावधानी और देखभाल के साथ तैयार किया जाना चाहिए, जिसमें सभी भौतिक जानकारी / तथ्य शामिल हों जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अपराध से जुड़े हों या वह महत्वपूर्ण साक्ष्य	तत्काल

बनने की संभावना रखता हो।

पीड़ित किसी भी राज्य के किसी भी जिले के किसी भी पुलिस थाने में एफआईआर दर्ज करा सकता है। इसके बाद, इसे अनुसंधान के लिए अधिकार क्षेत्र वाले संबंधित राज्य या पुलिस थाने में स्थानांतरित किया जा सकता है।

ऑडियो–विजुअल और इलेक्ट्रॉनिक साधनों, जिसमें स्कैनिंग भी शामिल है, का उपयोग सूचना को शीघ्र/अतिशीघ्र प्रसारित करने के लिए किया जा सकता है।

धारा 154 Cr.P.C की उप–धारा (1) के तहत दर्ज की गई ऐसी सूचना की एक प्रति पीड़ित या सूचनाकर्ता को निःशुल्क प्रदान की जाएगी।

अगर एफआईआर पंजीबद्ध करने में किसी भी प्रकार का विलंब होता है, तो एफआईआर में विलंब के कारणों को दर्शाया जाना चाहिए।

एफआईआर को क्षेत्रीय भाषा में दर्ज किया जाना चाहिए, यदि आवश्यक हो, तो पीड़ित के लिए इसे आसान बनाया जा सकता है।

चूंकि बलात्संग के प्रकरण विशेष प्रतिवेदन प्रकरण (स्पेशल रिपोर्ट) होते हैं, इसलिए अनुसंधान की monitoring संबंधित जिले के पुलिस अधीक्षक द्वारा की जाएगी। प्रारंभिक विशेष प्रतिवेदन, आदि, एक राजपत्रित अधिकारी द्वारा घटना के 72 घंटे के भीतर जारी की जानी चाहिए। इसी तरह निरंतर हर 15 दिवस में विशेष प्रतिवेदन/प्रगति प्रतिवेदन जारी किये जाने की आवश्यकता है।

	डीसीपी / जोन प्रभारी / जिला पुलिस अधीक्षक द्वारा समय–समय पर अनुसंधानकर्ता अधिकारी को विवेचना एवं साक्ष्य एकत्रित करने के संबंध में उचित निर्देश / मार्गदर्शन प्रदान किया जाना चाहिए। खेम चंद एवं अन्य विरूद्ध राज्य शासन के प्रकरण में दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा जारी निर्देशानुसार एफआईआर की एक प्रति जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को प्रेषित की जानी चाहिए।	
02	**पीड़िता से व्यवहार** इस प्रकार के अपराधों की पीड़िता के साथ सम्मान एवं संवेदनशीलता के साथ व्यवहार किया जाना चाहिए। वह अधिकारी जो पीड़िता से बात कर रहा हो उसे पीड़िता से अत्यंत विनम्र होना चाहिए। पीड़िता से किसी भी प्रकार का कोई अभद्र प्रश्न नहीं किया जाना चाहिए। पीड़िता की गरिमा की रक्षा एवं किसी भी शर्मनाक परिस्थिति से बचाने के लिये अत्यंत सावधानी बरती जानी चाहिए। यदि पीड़िता के साथ कोई परिवार का सदस्य नहीं है ऐसी परिस्थिति में इस प्रकार के अपराध की सूचना तत्काल उसके परिवार को दी जानी चाहिए। पीड़िता की पहचान को सार्वजनिक नहीं किया जाना चाहिए। प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर पीड़िता की पहचान प्रकट न हो इसके लिये सावधानी रखनी चाहिए। इसी प्रकार की सावधानी विधि विरूद्ध बालक के प्रकरण में भी की जानी चाहिए। हालांकि पीड़ित का नाम एवं फोटो का उपयोग अनुसंधान के पुनर्विवेचन के उद्देश्य से केस डायरी में किया जा सकता है।	आदर एवं संवेदनशीलता के साथ

03	**जहाँ पीड़ित अस्थायी या स्थायी रूप से, मानसिक रूप से अथवा शारीरिक रूप से अक्षम है** वह व्यक्ति जिसके विरूद्ध अपराध घटित होना पाया गया है अथवा प्रयास किया गया है स्थायी/अस्थायी रूप से, मानसिक अथवा शारीरिक रूप से अक्षम है ऐसी सूचना पीड़ित के निवास अथवा उसके बताये स्थान पर दुभाषिया या एक विशेष शिक्षक की उपस्थिति में पंजीबद्ध की जानी चाहिए। इस प्रकार की सूचनाओं की वीडियोग्राफी की जानी चाहिए।	
04	**यदि पीड़ित विभिन्न भाषाई पृष्ठभूमि का है** ऐसे प्रकरण में जहाँ पीड़ित भिन्न भाषाई पृष्ठभूमि का है, उसके कथन/प्राथमिकी दर्ज की जानी चाहिए। ऐसे पीड़ित को अनुसंधान के दौरान एफआईआर/कथन दर्ज करने के लिये दुभाषिया प्रदान किया जा सकता है।	
05	**यदि पीड़ित नाबालिग है।** ऐसा प्रकरण जहां पीड़िता नाबालिग है, ऐसी पीड़िता के कथन/एफआईआर दर्ज करते समय उसके माता–पिता की उपस्थिति एवं सहमति ली जा सकती है। यदि अभिभावक उपलब्ध नहीं है, तो उस स्थिति में कथन या एफआईआर की रिकॉर्डिंग के दौरान NGO के प्रतिनिधि या बाल कल्याण समिति के सदस्य की उपस्थिति और सहमति ली जा सकती है। POCSO Act की धारा–24 (2) के अनुसार साक्षात्कार/अनुसंधान के दौरान विवेचक सादे कपड़े में रहेंगे।	

विवेचक, बच्चे की जांच–पड़ताल करते समय यह सुनिश्चित करेगा कि किसी भी समय, बच्चा आरोपी के संपर्क में किसी भी प्रकार से न आए। (धारा–24 (3) एवं 36 POCSO Act r/w Sec. 273, Cr.P.C.)

जहां, विशेष किशोर पुलिस इकाई या स्थानीय पुलिस को सूचित किया जाता है कि जिस बच्चे के विरूद्ध अपराध घटित किया गया है, उसे देखभाल और सुरक्षा की आवश्यकता है। लिखित में कारणों को दर्ज कर रिपोर्ट के 24 घंटे के भीतर बच्चे को आश्रय गृह में या निकटतम अस्पताल में भर्ती कराने या उसकी देखभाल और सुरक्षा करने के लिए जैसा कि निर्धारित किया जा सकता हो व्यवस्था करेगा। साथ ही मामले के तथ्यों के अनुसार अनुसंधान जारी रखते हुये उसके कानूनी अभिभावक को खोजने का प्रयास करेगा।

पुलिस अधिकारी किसी भी कारण से रात में किसी भी बच्चे को पुलिस स्टेशन में निरूद्ध नहीं करेगा (धारा–24 (4) POCSO Act)

यदि पीड़ित नाबालिग है और वह अनाचार का शिकार हुआ/हुई है, तो उसे कथित/संदिग्ध आरोपी की अभिरक्षा से हटा दिया जाना चाहिए और उसे बाल सुरक्षा आश्रय में ले जाना चाहिए तथा बाल कल्याण अधिकारी को सूचित करने वाली रिपोर्ट 24 घंटे के भीतर भेज दी जानी चाहिए।

यदि पीड़ित के पास निवास स्थान/आवास न हो तो इस परिस्थिति में पीड़ित को आश्रय गृह भेजा जाना चाहिये।

06	**धारा 157 द.प्र.सं का पालन** दण्ड प्रक्रिया सहिंता की धारा 157 के अंतर्गत प्रथम सूचना प्रतिवेदन की एक प्रति तत्काल न्यायायिक दण्डाधिकारी (मजिस्ट्रेट) को भेजी जानी चाहिये।	24 घंटे के भीतर
07	**विवेचना** **विवेचना अधिकारी** महिलाओं के विरूद्व घटित अपराधों की विवेचना जहां तक हो सके महिला अधिकारी द्वारा ही की जाये। आवश्यकता अनुसार तीन से चार अनुभवी पुलिस अधिकारियों की एक विवेचना टीम गठित की जाये जिसमें एक अधिकारी को मुख्य विवेचना अधिकारी के रूप में नामांकित किया जाये। टीम में कम से कम एक महिला अधिकारी होनी चाहिये। बलात्संग जैसे गंभीर अपराधों की विवेचना सामान्यतः वरिष्ठ एवं अनुभवी पुलिस अधिकारी द्वारा की जानी चाहिये।	तत्काल
08	**पीडित के धारा 161 द.प्र.सं के अंतर्गत कथन दर्ज करना–** पीड़िता से बात करते समय उसके मानसिक एवं भावनात्मक स्तर का अवलोकन किया जाना चाहिये। जितना शीघ्र हो सके घटना का संपूर्ण विवरण पीड़िता की भाषा में यथावत लेख किया जाना चाहिये। पीड़ित को थाने पर नहीं बुलाया जाना चाहिये। विवेचक को पीड़ित के घर सादे वस्त्रों में जाना चाहिए एवं पीड़ित से जानकारी प्राप्त करते समय यह ध्यान रखा जाये कि पीड़िता शांतचित बनी रहे।	तत्काल

	पीड़िता के कथन उसके घर पर अथवा उसके द्वारा निर्धारित स्थान पर महिला पुलिस अधिकारी द्वारा लिये जाने चाहिये। पीड़िता के कथन उसके माता पिता अथवा अभिभावक अथवा किसी निकट के रिश्तेदार अथवा उस क्षेत्र के किसी सामाजिक कार्यकर्ता के समक्ष लेखबद्ध किये जाने चाहिये। पॉक्सो प्रकरणों में पीडिता के कथन लेते समय उसके माता पिता अथवा अभिभावक की उपस्थिति हेतु अनुमति प्रदान की जानी चाहिए। ऐसे प्रकरण जिसमें पीड़िता देश के बाहर, विदेश या अन्यत्र की है यदि विवेचना के दौरान विवेचक को प्रतीत होता है कि न्याय प्राप्ति हेतु साक्षीयों की परीक्षा आवश्यक है तो ऐसे साक्षी की परीक्षा बिना किसी विलम्ब के खर्च या असुविधा के नहीं की जा सकती है जो प्रकरण के दृष्टिगत अनुचित होगा तो विवेचक अपने निकट वरिष्ठ अधिकारियों से आदेश प्राप्त कर ऐसे साक्षी की वीडियो कांफ्रेंस अथवा अन्य इलेक्ट्रॉनिक संसाधनों के माध्यम से परीक्षा करा सकता है। **कथनों की वीडियोग्राफी** यदि कथन देने वाला व्यक्ति अस्थायी अथवा स्थायी रूप से शारीरिक अथवा मानसिक तौर से विक्षिप्त है, अथवा पीड़ित कोई अन्य भाषाई पृष्ठभूमि का है तो एक द्विभाषिया अथवा विशेष प्रबोधक की सहायता से उसके कथनों की वीडियोग्राफी की जावे।	
09	**पीडिता के 164 द.प्र.सं के तहत् कथन** विवेचक अथवा थाना प्रभारी का यह कर्तव्य है कि प्रकरण की सूचना प्राप्त होते ही वह संबंधित	तत्काल धारा 164 सीआरपीसी उपधारा 5ए

न्यायायिक मजिस्ट्रेट को ऐसे व्यक्ति के जिसके विरूद्ध ऐसा अपराध घटित हुआ है के कथन लेखबद्व करने हेतु सूचित करें।

विवेचक पीडिता को 164 द.प्र.सं. के तहत् कथन लेखबद्व कराने के उद्‌देश्य से शीघ्र किसी महानगरीय अथवा संबंधित न्यायायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष ले जाने हेतु त्वरित कार्यवाही करेगा।

164 द.प्र.सं. के तहत् लेखबद्व पीडिता के कथनों की एक प्रति विवेचक को तत्काल प्रदान की जाये तथा निर्देशित किया जाये कि उसके द्वारा उक्त कथन के तथ्यों को किसी भी व्यक्ति के समक्ष दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 173 के तहत् चालान प्रस्तुत होने तक प्रकट नहीं किया जाना चाहिए।

विवेचनाधिकारी विशेषरूप से बलात्संग के प्रकरण में उस दिनांक एवं समय को रिकार्ड करेगा। जब घटना घटित हुई हो एवं जब उसने पीड़िता को संबंधित न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत किया हो।

यदि पीड़िता का मेडिकल परीक्षण कराया गया है तो उसकी प्रति न्यायिक मजिस्ट्रेट को प्रस्तुत की जाये जिसके द्वारा द.प्र.सं. की धारा 164 के तहत् पीड़िता के कथन लेखबद्व किये जा रहे हो।

यदि 164 द.प्र.सं. के तहत् पीड़िता के कथन 24 घटें के भीतर कराने में विलम्ब हो रहा है तो उसका यथोचित कारण का उल्लेख केस डायरी में करते हुये मजिस्ट्रेट को सूचित कराया जाये।

पॉक्सो प्रकरणों में पीड़िता के कथन लेखबद्व कराते समय उसके माता पिता अथवा अभिभावक की उपस्थिति पॉक्सो एक्ट की धारा 26(1) के तहत् होनी

	चाहिये । **कथनों की वीडियोग्राफी** यदि कथन देने वाला अस्थायी अथवा स्थायी रूप से शारीरिक अथवा मानसिक तौर से विक्षिप्त है, अथवा पीड़िता कोई अन्य भाषाई पृष्ठभूमि की है, तो एक द्विभाषिया अथवा विशेष प्रबोधक की सहायता से उसके कथनों की वीडियोग्राफी की जाये।	
10	**मरणासन कथन** मरणासन कथन मजिस्ट्रेट अथवा डॉक्टर के समक्ष लिये जाये यदि यह संभव न हो तो धारा 161 द. प्र.सं. के तहत् उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग की जाये।	तत्काल
11	**धारा 161 द.प्र.सं. साक्षीयों के कथन** सभी साक्षीयों का परीक्षण तत्काल प्रासांगिक एवं भौतिक किया जाये। विशेषतः ऐसे साक्षी जो पीड़ित की चीख़ सुनकर घटनास्थल पर पहुंचे हो। यदि कोई हो तो परीक्षण किया जाना चाहिए। यदि पीड़ित अस्वस्थ है अथवा घटना का विवरण देने में असमर्थ है अथवा एक नाबालिग जो समझ नहीं सकता अथवा सदमें में है और पीड़ित/सर्वाइवर की दशा उसके परिजन/नातेदार अथवा अन्य किसी व्यक्ति को पीड़ित की ओर से एफआईआर दर्ज कराने अथवा उसकी सहायता करने हेतु प्रेरित करती है, तब उस व्यक्ति का स्वतंत्र गवाह के रूप में परीक्षण किया जाना चाहिए। पुलिस को परिजनों के साक्षी बनाने से पहले उसकी विवेचना की जानी चाहिए एवं उपयुक्त रूप से अभियोजन साक्षी बनाया जाना चाहिए।	तत्काल

	धारा 164 द.प्र.सं के तहत् साक्षीयों के कथन– उपयुक्त प्रकरणों में गवाहों के कथन 164 द.प्र. सं. के अंतर्गत पंजीबद्ध किये जाने चाहिये। विशेषकर पॉक्सो एक्ट के प्रकरण में पीड़ित के माता/पिता अथवा अभिभावक एवं सूचनाकर्ता के कथन पंजीबद्ध किये जाने चाहिये। **कथनों की वीडियोग्राफी** यदि कथन देने वाला व्यक्ति अस्थायी अथवा स्थायी रूप से शारीरिक अथवा मानसिक तौर से विक्षिप्त है, अथवा पीड़िता कोई अन्य भाषाई पृष्ठभूमि की है, तो एक द्विभाषिया अथवा विशेष प्रबोधक की सहायता से उसके कथनों की वीडियोग्राफी की जाये।	
12	**न्यायालय के समक्ष उपस्थिति तथा साक्ष्य देने हेतु प्रतिभूत करना–** अनुसंधानकर्ता शिकायत प्राप्त होने पर धारा 170 द.प्र.सं. के अन्तर्गत साक्षीयों को मजिस्ट्रेट के समक्ष साक्ष्य देने हेतु हाजिर करने के लिये बंध पत्र निष्पादित करने की अपेक्षा करेगा।	कथन पंजीबद्ध होने के पश्चात जितनी जल्दी संभव हो सके
13	**पीडित का मेडिकल परीक्षण –** धारा 164–ए द.प्र.सं के तहत् विवेचक का यह दायित्व है कि वह घटना की सूचना प्राप्त होने के 24 घंटे के भीतर बलात्संग की पीड़िता का मेडिकल परीक्षण कराये। यदि पीड़िता का मेडिकल परीक्षण कराया गया है तो उसकी प्रति विवेचना अधिकारी द्वारा न्यायिक मजिस्ट्रेट को जिसके द्वारा 164 द.प्र.सं. के तहत् कथन लिपिबद्ध किये गये हों, प्रेषित की जाये।	24 घंटो के भीतर

	विवेचक पीड़िता तथा आरोपी का मेडिकल परीक्षण चिकित्सीय परीक्षण प्रपत्र को उचित रूप से भर कर करायेगा। पीड़ित महिला का मेडिकल परीक्षण सिर्फ महिला चिकित्सक अथवा उसके पर्यवेक्षण में ही होना चाहिए। बलात्संग पीड़िता यदि वयस्क है तो उसका मेडिकल परीक्षण उसकी लिखित सहमति के उपरान्त ही होना चाहिए। यदि पीड़िता नाबालिग है अथवा अस्थायी/स्थायी रूप से मानसिक तौर से विक्षिप्त है तो उसका परीक्षण पॉक्सो एक्ट की धारा 27 के अनुपालन में उसके परिजन/ अभिभावक की सहमति के पश्चात ही किया जाना चाहिए। चिकित्सा अधिकारी या अधिकृत चिकित्सक उक्त परीक्षण की एक रिपोर्ट तैयार करेगा।	
14	**आयु का प्रमाण** POCSO Act के अंतर्गत ऐसे प्रकरण जहां पीड़ित की आयु तथा विधि विरूद्ध बालक के प्रकरण में आयु निर्धारण एक महत्वपूर्ण तथ्य हो, इस स्थिति में निम्नांकित दस्तावेज/कार्यवाही पर निर्भर किया जा सकता है। (Sec. 34, POCSO Act read along with Juvenile Justice Act 2000) (i) स्कूल का जन्म प्रमाण पत्र, या मैट्रिकुलेशन या संबंधित परीक्षा बोर्ड के समकक्ष प्रमाण पत्र, यदि उपलब्ध हों, या उसके अभाव में, (ii)नगर निगम या नगर पालिका अथवा पंचायत द्वारा दिया गया जन्म प्रमाण पत्र। (iii) और केवल (i) और (ii) के अभाव में, आयु का निर्धारण Ossification Test या कोई अन्य बेहतर	तत्काल जाँच के दौरान

	आयु निर्धारण परीक्षण मान्य होगा।	
15	**साक्ष्य संकलन** **घटना स्थल का परिदृश्य** घटना स्थल का निरीक्षण और मूल्यवान तथ्यों/सुराग का संग्रह सफल विवेचना एवं अभियोजन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह विवेचना अधिकारी का महत्वपूर्ण कर्तव्य होता है कि वह घटना स्थल को सुरक्षित करे ताकि वहाँ उपस्थित साक्ष्य नष्ट न हों। घटना स्थल का पूरी तरह से दक्षिणावर्त निरीक्षण किया जाना चाहिए और ज्यादा से ज्यादा साक्ष्य एकत्रित करने के लिए हर संभव प्रयास किया जाना चाहिये। वैज्ञानिक टीमों को उंगली/पैर के चिन्ह तथा घटना से संबंधित समस्त साक्ष्य जैसे बाल, रक्त, वीर्य, शरीर के तरल पदार्थ सहित अन्य संबंधित वस्तुएं, गहने, आदि जो मौके पर मौजूद हों को उठाने के लिए बुलाया जाना चाहिए। घटना स्थल के सभी कोने से फोटो लिया जाना चाहिए। घटना स्थल का 'नक्शा मौका' एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है, इसे ठीक से रेखांकित किया जाना चाहिए, इसमें घटनास्थल पर पाई गई वस्तुओं के बीच की दूरी को दर्शाया जाये। गवाहों की स्थिति, यदि कोई हो, अवश्य दर्शायी जानी चाहिए। प्रदर्शों की श्रृंखला और इसकी सत्यनिष्ठा को सर्वोपरि महत्व दिया जाना चाहिए। यदि दांत और काटने के निशान का पता चला	तत्काल

	है, तो इसके परीक्षण के लिए आरोपी को दंत विशेषज्ञ के पास ले जाना चाहिए।	
16	**इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य** इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य कई तरह से उपलब्ध होते हैं जैसे सीसीटीवी फुटेज, फोन कॉल विवरण आदि इस तरह के सभी उपलब्ध साक्ष्य इकट्ठा करना उपयोगी होगा। सीसीटीवी फुटेज विशेष रूप से उपयोगी है। जाँचकर्ता अधिकारी को सभी सीसीटीवी फुटेज एकत्रित करना चाहिए जो भी घटना स्थल पर मौजूद हों। प्राथमिक साक्ष्य संग्रह पर ध्यान देना आवश्यक है। फुटेज के अलावा, हार्ड डिस्क तथा संबंधित मेमोरी डिस्क भी एकत्र किए जाने चाहिए। प्राथमिक और द्वितीयक साक्ष्यों के संदर्भ में भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 63 को संदर्भित किया जाना चाहिए। **इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य का प्रमाण** इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य को भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 65-B के तहत प्रमाणित करने की आवश्यकता होगी।	तत्काल
17	**प्रदर्शों का वैज्ञानिक एवं रासायनिक परीक्षण** एकत्र किये गये साक्ष्य/प्रदर्शों को ठीक से संरक्षित कर शीघ्रता से सील किया जाना चाहिए तथा शीघ्र/अतिशीघ्र रासायनिक परीक्षण के लिए FSL को भेजा जाना चाहिए। संवेदनशील प्रकरणों में पर्यवेक्षक अधिकारी द्वारा सूचना प्राप्त होते ही तत्काल परामर्श के रूप में विवेचना अधिकारियों हेतु कार्ययोजना जारी की जानी चाहिए।	तत्काल

	उपयुक्त प्रकरणों में, डीएनए परीक्षण कराया जाना चाहिए। प्रदर्शों की जप्ती की श्रृंखला सुरक्षित तथा यथावत रखी जानी चाहिए।	
18	**संदिग्ध की गिरफ्तारी** घटित अपराध के संदिग्ध की गिरफ्तारी हेतु तत्काल हर संभव प्रयास किये जाने चाहिये। यदि संदिग्ध ने खुद को छुपा लिया है या फरार है या गिरफ्तारी से बच रहा है तब विवेचना अधिकारी संदिग्ध की गिरफ्तारी हेतु वारंट जारी करने के लिए न्यायालय से अनुरोध करेगा। यदि गिरफ्तारी वारंट का पालन नहीं किया जा सकता है क्योंकि जिस व्यक्ति के खिलाफ वारंट जारी किया गया है वह फरार हो गया है, या उसने खुद को छिपा लिया है, तो जाँचकर्ता अधिकारी Cr.P.C. की धारा 82 और 83 के अनुसार संबंधित व्यक्ति को उद्घोषित अपराधी घोषित करने तथा उसकी संपत्ति की कुर्की करने के लिए संबंधित न्यायालय में आवेदन करेगा। **अपराध की शिकायत धारा 174 (A) भादवि विरूद्ध फरार आरोपी** यदि कोई भी व्यक्ति, जिसके खिलाफ Cr.P.C. की धारा 82 के तहत एक उद्घोषणा जारी की गई है व दिये गये समय पर निर्देशित स्थान पर उपस्थित होने में विफल रहता है इस स्थिति में विवेचना अधिकारी को धारा 174(A) भादवि की शिकायत के संबंध में संबंधित न्यायालय में जाना चाहिये। **जब पीड़िता आरोपी को नहीं जानती है** पीड़ित से आरोपी का विवरण पता किया जाना	तत्काल

	चाहिए तथा तत्काल संदिग्ध का चित्र तैयार कर प्रसारित किया जाना चाहिए। वायरलेस पर आरोपी के संबंध में सतर्क होने हेतु संदेश प्रसारित किया जाना चाहिए। संदिग्ध के संबंध में स्थानीय तौर पर गुप्त/खुली पूछताछ की जानी चाहिए।	
19	**संदिग्ध की गिरफ्तारी के बाद की कार्यवाही** संदिग्ध को गिरफ्तार किये जाने के पश्चात Cr.P.C. की धारा 41, 41–ए, 41–बी, 41–सी, 41–डी, 46, 49, 50 तथा 51 के तहत निर्धारित कार्यवाही का पालन किया जाना चाहिये। कोई भी पुलिस अधिकारी हिरासत में बिना वारंट के गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को केस की परिस्थितियों से अधिक समय के लिए हिरासत में नहीं रखेगा और ऐसी अवधि सीआरपीसी की धारा 167 के तहत मजिस्ट्रेट के विशेष आदेश के अभाव में 24 घंटे से अधिक नहीं होगी। संदिग्ध से पूछताछ करते हुए अनुभवी पुलिस अधिकारियों को टीम में लिया जा सकता है। तथ्यों का खण्डन या पुष्टि जैसा कि पीड़िता के द्वारा लगाये गये कथित आरोप, सम्पूर्ण परिस्थितियों का सावधानीपूर्वक परीक्षण तथा पीड़िता को हुये आघात की संभावना को ध्यान में रखकर किया जाना चाहिए। संदिग्ध को Cr.P.C. की धारा 53–ए अनुसार तत्काल Injury sheet के साथ उसके शरीर पर पाये गये चोट, खरोंच, चोट या नाखून के निशान आदि का उल्लेख करते हुये मेडिकल परीक्षण के लिए भेजा	तत्काल

	जाना चाहिए। आरोपियों द्वारा घटना के समय पहने गए व्यक्तिगत कपड़े (अन्तः वस्त्र) जब्त किए जाएं और उन्हें जांच के लिए FSL भेजा जाए। कथित अपराध को करने के लिए आरोपी की शारीरिक क्षमता सिद्ध करने हेतु चिकित्सकीय जांच कराई जानी चाहिए।	
20	**पहचान का परीक्षण** जब पीड़िता गिरफ्तार हुये आरोपी से परिचित न हो ऐसी स्थिति में आरोपी को पूछताछ और चिकित्सकीय परीक्षण के बाद तत्काल न्यायिक हिरासत में भेज दिया जाना चाहिए एवं अदालत से पहचान की कार्यवाही (पहचान परेड) के लिए एक प्रारंभिक तिथि तय करने का अनुरोध किया जाना चाहिए। यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि आरोपी का चेहरा ढंका हुआ हो, जब उसे न्यायालय पेश किये जाने हेतु ले जाया जा रहा हो। यदि गिरफ्तार व्यक्ति की पहचान करने वाला व्यक्ति मानसिक या शारीरिक रूप से अक्षम है, तो पहचान की ऐसी प्रक्रिया न्यायिक मजिस्ट्रेट की देखरेख में होगी, जो यह सुनिश्चित करेगा कि किस विधि से पहचानकर्ता सहज रूप से अभियुक्तों की पहचान कर सकेगा। **परीक्षण की वीडियोग्राफी** यदि, गिरफ्तार व्यक्ति की पहचान करने वाला व्यक्ति मानसिक या शारीरिक रूप से अक्षम है। ऐसी स्थिति में संदिग्ध की पहचान की कार्यवाही की	तत्काल

	वीडियोग्राफी की जाएगी।	
21	**जमानत अर्जी** अभियोजन पक्ष द्वारा प्रासंगिक आधार पर जमानत अर्जी का विरोध किया जायेगा। यदि कोई जमानत अर्जी अदालत के समक्ष अभियुक्त द्वारा या अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत की गई है, तो यह संबंधित अभियोजक/विवेचना अधिकारी का कर्तव्य होगा कि वह समय से इसकी सूचना पीड़िता को दे ताकि वह इस संबंध में यदि चाहे तो उस अर्जी का विरोध कर सके।	तत्काल
22	**गवाह संरक्षण :–** सभी मामलों में इस बात का ध्यान रखा जायेगा कि पीड़ित और उसका परिवार या वह व्यक्ति जो इस मामले से संबंधी हो। उसे आरोपी या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा किसी भी तरह से धमकी या प्रलोभन नहीं दिया जायेगा।	
23	**चालान प्रस्तुतीकरणः–** महिलाओं के विरूद्ध सभी अपराधों की तुरंत विवेचना की जानी चाहिए और धारा 173 द.प्र.सं के अनुसार 60 दिवस के अंदर चालान माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया जाना चाहिए। किसी भी समय अनुसंधान की गुणवत्ता से समझौता नहीं किया जाना चाहिए, ऐसे सभी प्रकरणों का पर्यवेक्षण उप पुलिस अधीक्षक स्तर के अधिकारी द्वारा किया जाना चाहिए। आरोपी की गिरफ्तारी सहित जो स्वयं को दिन प्रतिदिन के अनुसंधान के साथ सम्बद्ध कर, स्कूटनी के पश्चात ही चार्जशीट हेतु आदेश जारी किया जाना चाहिये ताकि अभियोजन में	60 दिनों के अंदर

	कोई गलती या चूक न हो। विवेचनाकर्ता अधिकारी/थाना प्रभारी यह सुनिश्चित करेगा कि सभी प्रासंगिक दस्तावेज जैसे कि चिकित्सा जांच रिपोर्ट, एफएसएल रिपोर्ट, पहचान परेड, प्रासंगिक दैनिक रिपोर्ट/रोजनामचा सान्हा आदि चार्जशीट में संलग्न हों। चालान प्रस्तुत करने से पहले प्रकरण में अभियोजन अधिकारी की राय ली जानी चाहिए। अभियोजन पक्ष को चालान की एक प्रति उपलब्ध करानी चाहिए। चालान की एक प्रति पीड़िता या सूचनाकर्ता को निःशुल्क उपलब्ध करानी चाहिए। ई–चालान की व्यवस्था होनी चाहिए।	
24	**विचारण के दौरान अनुसंधानकर्ता एवं थाना प्रभारी के कर्तव्यः–** एक अधिकारी, जो उप निरीक्षक रैंक से निम्न श्रेणी का नहीं होगा, जो प्रकरण का अनुसंधानकर्ता होगा एवं अनुसंधानकर्ता के रूप में प्रकरण की निगरानी हेतु नियुक्त किया जायेगा। उसे विचारण दिनांक पर प्रकरण की प्रगति पत्रक प्रस्तुत करना चाहिए। जिसकी प्रति पुलिस अधीक्षक को भी उपलब्ध कराना चाहिए। विचारण के दौरान साक्षियों को गवाही देने के लिए प्रकरण की समस्त सामग्री एवं भौतिक दस्तावेजों के साथ समय से उपस्थित कराने की जिम्मेदारी अनुसंधानकर्ता की होगी। समन के माध्यम से गवाहों की उपस्थिति एवं ई–प्रारूप के माध्यम से समन जारी किया जाना	

	सुनिश्चित किया जाना चाहिए।	
25	**पीड़ित का पुनर्वास** :— बलात्कार पीड़िताओं को पुनर्वास में मदद की आवश्यकता होती है। पुनर्वास के दौरान पीडिता की चारों अवस्थायें जिसमें शारीरिक, मानसिक, मनोवैज्ञानिक और सामाजिक का ध्यान रखना चाहिये। यदि पीड़ित के पास आवास की व्यवस्था नहीं है तो उसे आश्रय गृह में स्थानांतरित किया जाना चाहिए। यदि पीड़िता को सामाजिक कलंक एवं परिवार से अलग होने जैसा भय हो तो, पीड़िता और परिवार के सदस्यों को आवश्यक रूप से परामर्श प्रदान किया जाना चाहिए। राज्य सरकारों द्वारा संचालित पीड़ित प्रतिकर योजना के तहत पीड़ित मुआवजा पाने की हकदार है। पीड़ित को मुआवजा प्राप्त करने संबंधी योजना के प्रावधान की जानकारी दी जानी चाहिए।	तत्काल
26	**मीडिया से व्यवहार**:— यौन अपराध सभी मीडिया और जनता का ध्यान आकर्षित करते हैं। मीडिया को यौन अपराधों की जानकारी देते समय पीड़िता की पहचान उजागर नहीं करना चाहिए, केवल अधिकृत अधिकारी को ही मीडिया को जानकारी देना चाहिए। प्रकरण की विवेचना में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े किसी भी पर्यवेक्षक अधिकारी को मीडिया अथवा अन्य किसी को भी मामले / पीड़िता (पीड़ित की मेडिकल रिपोर्ट) की जाँच से संबंधित जानकारी साझा नहीं करना चाहिये।	तत्काल

SAEC KIT के उपयोग हेतु गाईडलाईन

11. Crime scene investigation kit:

Following are the major components of crime scene investigation kit used for biological evidences:

High resolution digital camera	
Disposable Gown, Cap, Shoe, Gloves, Mask, Goggles, hand-towels. Bio-hazard polythene bag for biological waste.	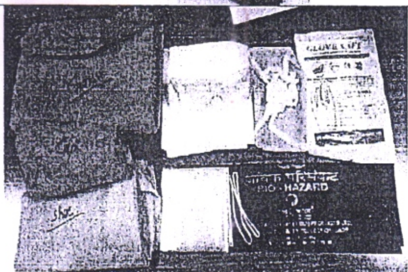
Sterile gauze, Filter paper and dessicant	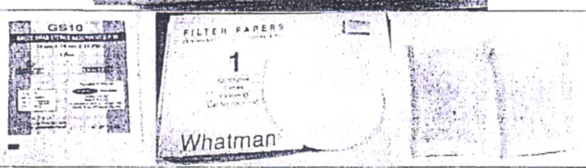
Alcohol swabs and tissue. hand sanitizer	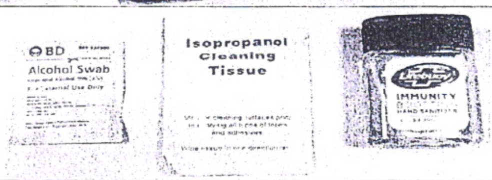
Evidence marking letter, alphabets and direction indicators	
Hand torch and magnifier lens	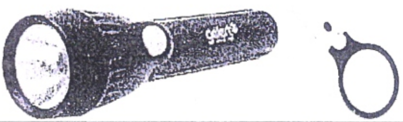

Surgical blades, forceps, scissor, dropper and syringe	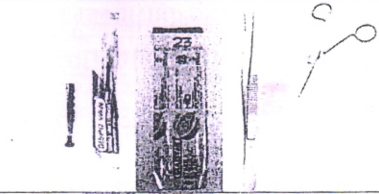
Sterile water, saline and phosphate buffer	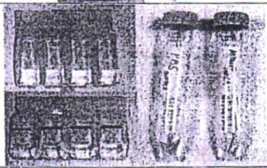
EDTA vials and FTA cards	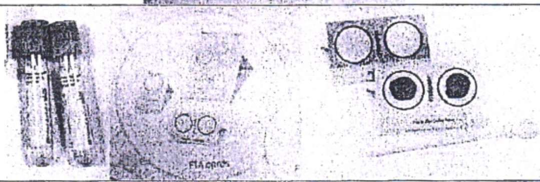
Surface swabs, Cotton swabs and plastic container	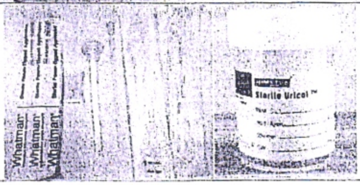
Evidence collecting envelopes and cardboards	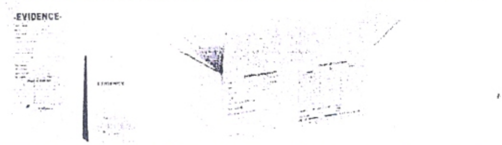

INSTRUCTIONS FOR USING CRIME SCENE INVESTIGATION KIT

- CLEAN AND SANITIZE YOUR HANDS BEFORE TOUCHING THE KIT
- WEAR BARRIER CLOTHINGS SUCH AS GLOVES, MASK, GOWN, SHOES, CAP
- TRY TO AVOID SNEEZE AND COUGH ON EVIDENCE ITEMS
- USE UV LIGHTER TO SPOT AND IDENTIFY BODY FLUIDS
- ONLY USE SWABS / FTA CARD / GAUZE PIECE TO COLLECT SEMI DRY / LIQUID BODY FLUIDS
- DRY / OLD STAIN SHOULD BE MOISTIONED WITH PBS BUFFER AND LEFT FOR 5 MIN
- COLLECT THE STAIN WITH THE HELP OF FTA CARD OR TIPPED FOAM SURFACE SWAB
- AIR DRY THE STAIN BEFORE PACKAGING
- REFER PROCEDURE FOR COLLECTION OF BIOLOGICAL EVIDENCES

प्रदर्श को प्रयोगशाला भेजते समय ध्यान देने योग्य बातें :–

How take the specimen and how to pack :

Bloodstains	Wrapped with a dry paper or cloth
Blood sample	In EDTA vials or on FTA Card.
Muscle tissues	About 100 gms of muscle tissue should be sent in a clean glass bottle/plastic container with 0.9% DNS (normal saline sold in medical shops) on ice or in a crystal salt (sodium chloride) as a preservative. Tissue samples should not be preserved in formalin.
Vaginal swabs	The dry cotton swab should be placed in a clean dry glass vial/bottle
Teeth, Hair with root and Bones (intact)	Wrapped with a dry paper or cloth Complete burnt bones, pieces of bones and decomposed tissue are not useful for analysis

1. अग्रेषण पत्र प्रयोगशाला द्वारा निर्धारित प्रारूप में ही भेजा जाना चाहिये। अग्रेषण पत्र में केस का स्पष्ट विवरण, संक्षिप्त केस हिस्ट्री, पुलिंदों एवं प्रदर्शों का स्पष्ट विवरण, स्पष्ट प्रश्न, वाहक के प्रमाणित हस्ताक्षर एवं सर्टिफिकेट ऑफ ऑथोरिटी को भरकर मजिस्ट्रेट द्वारा भेजा जाना चाहिये।

2. केवल ऐसे प्रदर्शों को ही परीक्षण के लिए भेजा जाय जिनका परीक्षण किया जाना है।

3. प्रदर्शों के बाहरी पुलिंदों एवं अन्दर के पुलिदों, सभी की नमूना मोहर भेजना आवश्यक है।

4. प्रदर्शों पर क्रमशः 1, 2, 3,.........अथवा A, B, C, ...आदि नम्बरिंग कर ली जाये तथा उसके अंदर रखी वस्तु का विवरण अंकित किया जाये।

5. नमूना मोहर पठनीय एवं स्पष्ट होनी चाहिये अन्यथा यह प्रयोगशाला द्वारा स्वीकार्य नहीं होगा।

6. सिक्कों से सील मोहर न किया जाये।

7. अभियुक्त अथवा पीड़ित का रक्त नमूना भेजते समय यह सुनिश्चित कर लें कि उसके साथ डॉक्टर द्वारा भरा गया प्रयोगशाला द्वारा वांछित 'Blood sample authentication form' संलग्न है या नहीं। इस फार्म में रक्त नमूना देने वाले व्यक्ति की प्रमाणित फोटो, उसकी सहमति एवं रक्त नमूने के प्रकार एवं प्रीजर्वेशन स्थिति को डॉक्टर द्वारा स्पष्ट रूप में भरा जाय। यदि रक्त नमूना माननीय न्यायालय में लिया जा रहा है तो सम्बंधित मजिस्ट्रेट के हस्ताक्षर भी आवश्यक हैं।

8. फॉरेन्सिक प्रदर्श जो घटनास्थल से लिए गये हैं, में विवेचक की नमूना मोहर एवं जिस मजिस्ट्रेट के माध्यम से प्रेषित किये जा रहे हैं, उनकी नमूना मोहर होनी आवश्यक है।

9. मेडिकल/पोस्टमॉर्टम के दौरान लिये गये सैम्पल्स में सभी सैम्पल्स की नमूना मोहर आवश्यक है एवं यह सुनिश्चित कर लिया जाय कि मेडिकल रिपोर्ट/पी0एम0 रिपोर्ट में उक्त प्रदर्शों को संकलित किये जाने का स्पष्ट विवरण लिखा गया है या नही।

10. केस के साथ प्रथम सूचना रिपोर्ट/मेडिकल रिपोर्ट/पी0एम0 रिपोर्ट की स्पष्ट प्रमाणित छायाप्रतियां भेजना आवश्यक है।

11. पोस्टमॉर्टम के समय डॉक्टर द्वारा लिये गये डी0एन0ए0 सैम्पल्स का विवरण विधि विज्ञान प्रयोगशाला द्वारा वांछित 'Autopsy Specimen Sheet' में डॉक्टर द्वारा भरवा लिया जाय जिसकी मूल प्रति केस के साथ प्रयोगशाला भेजी जाये।

12. केस के साथ एफ.आई.आर की प्रमाणित छायाप्रति भी प्रेषित की जाये।

अपराध पीड़िताओं का पुर्नवास

धारा 357 क (1) दण्ड प्रक्रिया संहिता :– ''प्रत्येक राज्य सरकार केन्द्रीय सरकार के साथ मिलकर ऐसे पीड़ित या उसके आश्रितों को, जिन्हे अपराध के परिणामस्वरूप हाानि या क्षति हुई है और जिन्हे पुर्नवास की आवश्यकता है, प्रतिकर के प्रयोजन के लिये निधियां उपलब्ध कराने के लिये स्कीम तैयार करेगी। ''

उत्तराखण्ड राज्य में अपराध पीड़ितों को सहायता एवं पुर्नवास के उद्देश्य से ''उत्तराखण्ड अपराध से पीड़ित सहा0 योजना 2013'' दिनांक 16.07.2013 को लागू की गयी है। पुनः माननीय उच्चतम न्याया0 द्वारा पारित आदेश के क्रम में उत्तराखण्ड शासन द्वारा महिला अपराध पीड़ितों की सहायता एवं पुर्नवास हेतु Compensation Scheme for Women Victim/Survivors of Sexual Assault/other Crime 2018 योजना दिनांक 20.11.2020 को लागू की गयी है।

क्रम संख्या–196

पंजीकृत संख्या–यू0ए0/डी0ओ0/डी0डी0एन0/30/2012–14
(लाइसेन्स टू पोस्ट विदाउट प्रीपेमेन्ट)

सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

देहरादून, मंगलवार, 16 जुलाई, 2013 ई0
आषाढ़ 25, 1935 शक सम्वत्

उत्तराखण्ड शासन
गृह अनुभाग–3

संख्या 4520/XX-3–2012–05(09) 2011
देहरादून, 16 जुलाई, 2013

अधिसूचना

राज्यपाल, दण्ड प्रकिया संहिता, 1973 (केन्द्रीय अधिनियम सं0 2 वर्ष 1974) की धारा 357–''क'' द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार से समन्वय कर एतद्द्वारा अपराध से पीड़ित

व्यक्ति या उसके आश्रितों, जिन्हें अपराध के परिणामस्वरूप हानि या अभिघात हुआ हो, की सहायता एवं पुनर्वास के उद्देश्य से कोष उपलब्ध कराने के लिए सहर्ष निम्न योजना निर्मित करते हैं :–

उत्तराखण्ड अपराध से पीड़ित सहायता योजना, 2013

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ 1.(1) इस योजना का संक्षिप्त नाम उत्तराखण्ड अपराध से पीड़ित सहायता योजना, 2013 है।

(2) यह दिनांक 31 दिसम्बर, 2009 से प्रवृत्त हुई समझी जायेगी।

परिभाषाएं 2. इस योजना में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो :–

(क) ''अधिनियम'' से दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (अधिनियम सं0 2 वर्ष 1974) अभिप्रेत है ;

(ख) ''अनुसूची'' से इस योजना के अन्तर्गत संलग्न अनुसूची अभिप्रेत है ;

(ग) ''राज्य'' से उत्तराखण्ड राज्य अभिप्रेत है

(घ) ''पीड़ित'' से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है, जिसे अपराध, ऐसिड अटैक, मानव तस्करी, गम्भीर दुर्घटना आदि के कारण हानि या क्षति हुई हो और जिन्हें पुनर्वास की आवश्यकता हो, इसमें पीड़ित व्यक्ति का आश्रित परिवार भी सम्मिलित है।

अपराध से पीड़ित सहायता कोष 3. (1) राज्य सरकार, अपराध से पीड़ित एक सहायता कोष की स्थापना करेगी। योजनान्तर्गत कोष से सहायता की राशि पीड़ित व्यक्ति या पीड़ित व्यक्ति के आश्रितों को, जिनकी ऐसिड़ अटैक, मानव तस्करी, गम्भीर दुर्घटना आदि अपराधों के कारण हानि या क्षति हुई हो और जिन्हें पुनर्वास की आवश्यकता हो, को अनुसूची 1 में दी गई धनराशि का भुगतान यथा रीति किया जा सकेगा।

(2) राज्य सरकार, इस योजना के लिए प्रत्येक वर्ष पृथक से आय–व्ययक में सहायता धनराशि आवंटित करेगी, जिसे इस हेतु स्थापित किये जाने वाले कार्पस फण्ड में रखा जायेगा। किसी राष्ट्रीयकृत बैंक में सावधि जमा खाता खोलकर इस कोष की धनराशि जमा की जायेगी।

(3) सहायता कोष में विभिन्न स्रोतों से जो राजकीय अथवा अराजकीय हों, दान, उपहार एवं अनुदान की धनराशि भी आय–व्ययक के अतिरिक्त मान्य होगी।

(4) सहायता कोष के लिए आय–व्ययक में स्वीकृति धनराशि पुलिस महानिदेशक के निर्वतन पर रखी जायेगी, जिसका भुगतान प्रमुख सचिव/सचिव, गृह विभाग उत्तराखण्ड शासन एवं पुलिस महानिदेशक के संयुक्त हस्ताक्षरों से एकाउंट पेई चैक के माध्यम से किया जायेगा। जनपदों में भुगतान संबंधित जिलाधिकारी एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक के संयुक्त हस्ताक्षरों द्वारा एकाउंट पेई चैक के माध्यम से किया जायेगा।

सहायता के लिए अर्हता 4. सहायता की राशि प्राप्त करने के लिए कोई पीड़ित व्यक्ति या पीड़ित व्यक्ति के आश्रित अर्ह होंगे; यदि–

(क) अपराधी नहीं पकड़ा गया हो अथवा उसकी शिनाख्त नहीं हुई हो किन्तु पीड़ित की शिनाख्त हो गई हो और विचारण प्रचलित नहीं हुआ हो, ऐसा पीड़ित भी अधिनियम की धारा 357–''क'' की उपधारा (4) के अधीन सहायता के लिए आवेदन कर सकेगा;

(ख) पीड़ित/दावाकर्ता प्रभारी मजिस्ट्रेट या क्षेत्र के न्यायिक मजिस्ट्रेट को अपराध की रिपोर्ट कर देता है;

परन्तु यह कि जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, यदि संतुष्ट है तो रिपोर्ट में हुए विलम्ब को कारण अभिलिखित करते हुए मर्षित कर सकेगी;

(ग) पीड़ित/दावाकर्ता विवेचना एवं अभियोग के दौरान पुलिस एवं अभियोजन को सहयोग करे।

सहायता प्रदान करने की प्रकिया	5.	(1) जब कभी न्यायालय द्वारा कोई संस्तुति की जाती है अथवा अधिनियम की धारा 357–''क'' की उपधारा (2) के अन्तर्गत पीड़ित या उसके आश्रितों द्वारा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को कोई आवेदन किया जाता है तो जिला विधिक सेवा प्राधिकरण मामले का परीक्षण करेगा और मामले के संसूचित आपराधिक गतिविधि के मध्य पीड़ित को उत्पन्न हुई हानि या क्षति की दृष्टि से दावे के विवरणों को सत्यापित करेगा तथा सूचना की वास्तविकता के निर्धारण के कम में कोई अन्य सम्बद्ध आवश्यक सूचना को मंगायेगा। दावे के सत्यापन के पश्चात् जिला विधिक सेवा प्राधिकरण इस योजना के उपबन्धों के अनुसरण में दो माह के भीतर सहायता की मात्रा का निर्धारण करेगा।
		(2) इस योजना के अन्तर्गत सहायता का भुगतान इस शर्त के अधीन किया जायेगा कि यदि विचारण न्यायालय द्वारा वाद की तारीख में अधिनियम की धारा 357 की उपधारा (3) के अधीन अभियुक्त व्यक्ति को सहायता के रूप में कोई धनराशि का भुगतान करने के आदेश पारित किये जाय तो पीड़ित व्यक्ति/दावाकर्ता आदेशित सहायता की धनराशि के बराबर की धनराशि वापस करेगा अथवा उक्त अधिनियम की धारा 357 की उपधारा (3) के अधीन आदेशित धनराशि का, जो भी कम हो, भुगतान करेगा। ऐसे प्रभाव के लिए पीड़ित व्यक्ति/दावाकर्ता द्वारा सहायता की धनराशि के भुगतान करने से पूर्व एक शपथ–पत्र दिया जायेगा।
		(3) जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, पीड़ित को हुई क्षति के आधार पर चिकित्सा पर आए चिकित्सा व्यय, दाह संस्कार के रूप में ऐसे आकस्मिक अधिभारों सहित पुनर्वास के लिए अपेक्षित न्यूनतम आवश्यक धनराशि पीड़ित व्यक्ति अथवा उसके आश्रितों को दिए जाने वाले सहायता की मात्रा को निर्णीत करेगा। सहायता पृथक–पृथक मामलों में प्रत्येक मामलें के तथ्यों के आधार पर भिन्न–भिन्न हो सकेगी।
		(4) योजना के अधीन दिए जाने वाली सहायता की मात्रा, पीड़ित व्यक्ति अथवा उसके आश्रितों, जैसी स्थिति हो, निधि से वितरित की जाएगी।
		(5) प्रश्नगत अपराध के सम्बन्ध में पीड़ित द्वारा राज्य से प्राप्त सहायता अर्थात् बीमा, अनुग्रही अदायगी और/अथवा किसी अन्य अधिनियम अथवा राज्य द्वारा संचालित कोई योजना के अधीन प्राप्त भुगतान इन नियमों के अधीन सहायता की धनराशि के भाग के रूप में मानी जायेगी। यदि अन्य स्रोतों से प्राप्त सहायता धनराशि इस योजना के अन्तर्गत निर्धारित सहायता धनराशि से अधिक या समतुल्य हो तो इस योजना से कोई भी सहायता धनराशि अनुमन्य नहीं होगी।
		(6) मोटर यान अधिनियम, 1988 (अधिनियम सं0 59 वर्ष 1988) के अन्तर्गत आच्छादित मामले जिसमें मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण ने क्षतिपूर्ति का आदेश पारित कर दिया है, इस योजना के अन्तर्गत आच्छादित नहीं होंगे।
		(7) पीड़ित को परेशानियों से छुटकारा दिलाने के लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण थानाध्यक्ष के प्रमाण–पत्र या क्षेत्र से सम्बन्धित मजिस्ट्रेट के प्रमाण–पत्र पर तत्काल प्राथमिक सुविधा या उपलब्ध चिकित्सा लाभ निःशुल्क या कोई अन्य अनुतोष जो उचित हो, का आदेश पारित कर सकेंगे।
।देश अभिलेखों रखना	6.	इस योजना के अन्तर्गत पारित सहायता धनराशि के भुगतान सम्बन्धी आदेश की प्रति विचारण न्यायालय के समक्ष रखना बाध्यकारी होगी, जिससे विचारण न्यायालय को दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 357 की उपधारा (3) के अधीन आदेश पारित करने में सुलभता हो सके।
।यावधि	7.	दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 357–''क'' की उपधारा (4) के अधीन पीड़ित व्यक्ति अथवा उसके आश्रितों द्वारा किए जाने वाला कोई दावा

राज्य अथवा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा अपराध के छः माह की अवधि के पश्चात् ग्रहण नहीं किया जायेगा;

परन्तु यह कि राज्य अथवा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, यदि संतुष्ट है तो दावे को प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब के कारण अभिलिखित करते हुए विलम्ब को मर्षित कर सकेगा।

अपील 8. जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा सहायता की अस्वीकृति से व्यथित कोई पीड़ित 90 दिनों की अवधि के भीतर राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के समक्ष अपील प्रस्तुत कर सकता है ;

परन्तु यह कि राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, यदि संतुष्ट है तो अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब को कारण अभिलिखित करते हुए मर्षित कर सकेगा।

अनुसूची–1

क्र0सं0	हानि या क्षति का विवरण	सहायता की अधिकतम सीमा
1	2	3
1	बलात्कार	रू0 2,00,000/–
2	मानव तस्करी से स्त्रियों और बच्चों को हुई मानसिक पीड़ा से क्षति	रू0 1,00,000/–
3	मृत्यु	रू0 2,00,000/–
4	गम्भीर चोट के लिए भारतीय दण्ड विधान–1860 की धारा 320 में यथापरिभाषित	रू0 20,000/–
5	तेजाब से हमला	
	(क) यदि चेहरा/सिर क्षतिग्रस्त हुआ हो	रू0 1,50,000/–
	(ख) यदि अन्य अंग क्षतिग्रस्त हुये हों	रू0 30,000/–
6	शरीर के किसी अंग या हिस्से का नुकसान, जिससे शरीर में 40 प्रतिशत से अधिक व 80 प्रतिशत से कम विकलांगता घटित हुई हो	रू0 50,000/–
7	शरीर के किसी अंग या हिस्से का नुकसान, जिससे शरीर में 40 प्रतिशत से कम विकलांगता घटित हुई हों	रू0 10,000/–
8	शरीर के किसी अंग या हिस्से का नुकसान, जो 80 प्रतिशत से अधिक विकलांगता हों	रू0 1,00,000/–
9	अप्राप्तवय का बलात्कार	रू0 2,50,000/–
10	पुनर्वास	
	(क) बलात्कार पीड़िता के सन्दर्भ में	रू0 1,00,000/–
	(ख) अन्य प्रकरणों के सन्दर्भ में	रू0 20,000/–
11	बच्चों को साधारण क्षति या हानि	रू0 10,000/–

आज्ञा से,

ओम प्रकाश,
प्रमुख सचिव।

उत्तराखण्ड शासन
गृह अनुभाग–3
संख्या–532/XX-3-2019-05(09)2011
देहरादून : दिनांक 08 सितम्बर, 2020

अधिसूचना

चूंकि, माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सिविल रिट संख्या–565/2012 निपुण सक्सेना एवं अन्य बनाम भारत संघ में दिनांक 11.05.2018 को दिये गये निर्णय के आलोक में उत्तराखण्ड अपराध से पीड़ित सहायता योजना, 2013(यथा–संशोधित 2014 एवं 2016) का संशोधन करना है;

और चूंकि, राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकार द्वारा तैयार की गई "यौन अपराध एवं अन्य अपराधों से पीड़ित महिला/अन्य पीड़ितों हेतु प्रतिकर योजना, 2018" जिसे भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा अनुमोदित किया गया है, को उत्तराखण्ड राज्य में लागू करना आवश्यक है;

और चूंकि, इस स्कीम को उत्तराखण्ड अपराध से पीड़ित सहायता योजना, 2013 (यथा–संशोधित 2014 एवं 2016) के भाग–II में अध्याय के रूप में लागू करना प्रस्तावित है;

अतएव, अब, राज्यपाल, उत्तराखण्ड, दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 357क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग एंव उत्तराखण्ड अपराध से पीड़ित सहायता योजना, 2013 (यथा–संशोधित 2014 एवं 2016) में संशोधन करते हुए ऐसे अपराध पीड़ितों या उनके आश्रितों को, जिन्हें अपराध के परिणामस्वरूप हानि या क्षति कारित हुई है और जिन्हें पुनर्वास की आवश्यकता है, प्रतिकर के प्रयोजन के लिए निधियां उपलब्ध कराने और प्रतिकर की मात्रा का विनिश्चय करने के लिए एतद्द्वारा भाग–II में निम्नलिखित अध्याय जोड़े जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:–

भाग–II

इस भाग में अन्तर्विष्ट अध्याय का नाम उत्तराखण्ड यौन अपराध एवं अन्य अपराधों से पीड़ित/उत्तरजीवी महिलाओं हेतु प्रतिकर योजना, 2020 है।

संक्षिप्त नाम, विस्तार व प्रारम्भ

1. (1) इस अध्याय का संक्षिप्त नाम "उत्तराखण्ड यौन अपराध एवं अन्य अपराधों से पीड़ित/उत्तरजीवी महिलाओं हेतु प्रतिकर योजना, 2020" है।

(2) यह दिनांक 02 अक्टूबर 2018 से प्रवृत हुई समझी जायेगी।

(3) यह उत्तराखण्ड राज्य में पीड़ितों और उनके आश्रितों पर लागू होगी, जिन्हें अपराध के परिणामस्वरूप हानि हो अथवा क्षति हो या जैसी भी स्थिति हो और जिन्हें पुनर्वास की आवश्यकता हो।

परिभाषाएँ

2. (1) जब तक विषय या संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, इस अध्याय में:–

(क) **"संहिता"** से दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973(1974 का 2) अभिप्रेत है;

(ख) **"आश्रित"** में सम्बन्धित क्षेत्र के उप जिला मजिस्ट्रेट/थानाध्यक्ष/जांच अधिकारी की आख्या के आधार पर अथवा आश्रितों द्वारा शपथ–पत्र के माध्यम से प्रस्तुत सामग्री या अपनी जांच के आधार पर राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण/जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा निर्धारित पीड़िता के पति, पिता, माता, दादा–दादी, अविवाहित पुत्री, अवयस्क बच्चे सम्मिलित है;

(ग) **"जिला विधिक सेवा प्राधिकरण"** से उत्तराखण्ड राज्य के जिले में विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 (1987 के

अधिनियम, 39) की धारा 9 के अन्तर्गत गठित जिला विधिक सेवा प्राधिकरण से अभिप्रेत है;

(घ) **"प्रपत्र"** से इस अध्याय के लिए योजना के साथ संलग्न प्रपत्र अभिप्रेत है;

(ङ.) **"निधि"** से राज्य निधि यथा-- राज्य पीड़ित योजना के अन्तर्गत गठित पीड़ित प्रतिकर निधि अभिप्रेत है;

(च) **"केन्द्रीय निधि"** से केन्द्रीय पीड़ित प्रतिकर निधि योजना, 2015 से प्राप्त निधि अभिप्रेत है;

(छ) **"महिला पीड़ित प्रतिकर निधि"** से राज्य पीड़ित प्रतिकर निधि एवं केन्द्रीय निधि में महिला पीड़ितों के संवितरण हेतु पृथक निधि अभिप्रेत है। [राज्य पीड़ित प्रतिकर निधि के अन्तर्गत एक पृथक बैंक खाता उस बड़ी निधि के रूप में जिसमें राज्य पीड़ित प्रतिकर योजना से प्राप्त निधि के अलावा गृह मंत्रालय भारत सरकार द्वारा केन्द्रीय पीड़ित प्रतिकर निधि के अन्तर्गत निर्भया फंड से दी निधि अन्तर्विष्ट होगी जिसका उपयोग केवल इस अध्याय से आच्छादित पीड़ितों के लिये ही किया जायेगा।];

(ज) **"सरकार"** से 'राज्य सरकार' जहां राज्य पीड़ित प्रतिकर योजना या राज्य पीड़ित प्रतिकर निधि सन्दर्भित है और 'केन्द्र सरकार' जहां केन्द्र सरकार पीड़ित प्रतिकर निधि योजना सन्दर्भित है अभिप्रेत है;

(झ) **"क्षति"** से किसी महिला को हुई मानसिक अथवा शारीरिक हानि अभिप्रेत है;

(ञ) **"अवयस्क"** से 18 वर्ष से कम उम्र की बालिका अभिप्रेत है;

(ट) **"अपराध"** से भारतीय दण्ड संहिता अथवा अन्य किसी विधि के अन्तर्गत किसी महिला के विरूद्ध किया गया कोई अपराध अभिप्रेत है;

(ठ) **"संहिता"** से भारतीय दण्ड संहिता, 1860 (अधि० सं० 45 वर्ष 1860) अभिप्रेत है;

(ड) **"अनुसूची"** से इस योजना/भाग के साथ संलग्न अनुसूची अभिप्रेत है;

(ढ) **"राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण"** से विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 (अधि० सं० 39 वर्ष 1987) की धारा 6 के अन्तर्गत परिभाषित राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण अभिप्रेत है;

(ण) **"यौन अपराध पीड़ित"** से भारतीय दण्ड संहिता की, धारा 376(क) से (ड़), धारा 354 (क) से (घ) एवं धारा 509 सहित यौन अपराध के परिणामस्वरूप मानसिक अथवा शारीरिक अथवा दोनों रूप से पीड़ित महिला अभिप्रेत है;

(त) **"अन्य अपराध से पीड़ित/उत्तरजीवी महिला"** से ऐसी महिला अभिप्रेत है, जिसे भारतीय दण्ड संहिता की धारा 304ख, धारा 326क, धारा 498क (संलग्न अनुसूची में विशेषीकृत शारीरिक क्षति के मामले में) सहित किसी अपराध के परिणाम स्वरूप शारीरिक या मानसिक रूप से क्षति पहुंची हो, जिसमें प्रयास एवं दुष्प्रेरण भी सम्मिलित है।;

		(2) उन शब्दों और पदों जो इस योजना में प्रयुक्त हैं और परिभाषित नहीं हैं, का वही अर्थ होगा जो दण्ड प्रकिया संहिता, 1973 अथवा/और भारतीय दण्ड संहिता, 1860 में हैं।
पीड़ित महिला प्रतिकर निधि	3.	(1) **'पीड़ित महिला प्रतिकर निधि'** के नाम से एक निधि होगी, जिसमें से राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण अथवा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा निर्धारित प्रतिकर राशि का भुगतान महिला पीड़ित या उसके आश्रित/आश्रितों को किया जाएगा, जिन्हें अपराध के परिणामस्वरूप हानि या क्षति हुई हो और जिन्हें पुनर्वास की आवश्यकता हो। (2) 'पीड़ित महिला प्रतिकर निधि' में निम्नलिखित सम्मिलित होंगे: (क) केन्द्रीय निधि से प्राप्त अंशदान; (ख) राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण को अनुदान-सहायता के रूप में बजटीय आवंटन जिसके लिए सरकार द्वारा वार्षिक बजट में प्रावधान किया जाएगा; (ग) सिविल/आपराधिक न्यायाधिकरण द्वारा आदेशित कोई धनराशि, इस निधि में जमा की जायेगी; (घ) इस योजना की प्रस्तर 13 के अन्तर्गत दोषकर्ता/अभियुक्त से वसूल की गयी मुआवजे की राशि; (ड़) व्यक्तियों/अन्तर्राष्ट्रीय/राष्ट्रीय/परोपकारी/धर्मार्थसंस्थाओं/संगठनों से प्राप्त अनुदान/अंशदान (राज्य या केन्द्र सरकार द्वारा अनुमति प्राप्त); (च) सामाजिक उत्तरदायित्व के तहत कम्पनियों से प्राप्त अंशदान; (3) उक्त निधि का संचालन राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा किया जायेगा।
प्रतिकर के लिए अर्हता	4.	पीड़ित महिला या उसके आश्रित/आश्रितों, जैसी भी स्थिति हो, को उन पर लागू होने वाली विभिन्न योजनाओं से क्षतिपूर्ति का/की पात्र माना जाएगा परन्तु, उनके द्वारा अन्य योजनाओं में प्राप्त प्रतिकर को दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 357ख के अन्तर्गत ऐसे उत्तरवर्ती आवेदन में मात्रा निर्धारण करते समय विचार में लिया जायेगा।
राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण अथवा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के समक्ष आवेदन किये जाने की प्रक्रिया	5.	प्रथम सूचना रिपोर्ट के पंजीकरण के तुरंत पश्चात वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक/क्षेत्राधिकारी/थानाध्यक्ष इसकी हार्ड/सॉफ्ट कॉपी अनिवार्य रूप से राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण/जिला विधिक सेवा प्राधिकरण से साझा करेंगे ताकि धारा 326क, 354क से 354घ तक, 376क से 376ड़ तक, 304ख, 498क (अनुसूची से आच्छादित शारीरिक क्षति के मामलों में) से आच्छादित अपराधों में राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण/जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, पात्र मामलों में अन्तरिम प्रतिकर प्रदान करने हेतु स्वतः तथ्यों का प्रारम्भिक सत्यापन कर सकें। अन्तरिम/अन्तिम प्रतिकर धनराशि प्राप्त किये जाने हेतु पीड़ित अथवा उसके आश्रित अथवा सम्बन्धित थाना प्रभारी के द्वारा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण/जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के समक्ष आवेदन कर

		सकते हैं। इस प्रथम सूचना रिपोर्ट या आपराधिक शिकायत, जिसका संज्ञान न्यायालय द्वारा लिया गया हो और यदि उपलब्ध मेडिकल रिपोर्ट मृत्यु प्रमाण पत्र जहां लागू हो, न्यायालय के निर्णय/संस्तुति की प्रति यदि विचारण की कार्यवाही समाप्त हो गयी हो, की प्रति के साथ प्रारूप 'I' में जमा करना होगा।
आवेदन जमा करने का स्थान	6.	प्रतिकर के लिये आवेदन या तो सम्बन्धित राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण अथवा सम्बन्धित जिले के विधिक सेवा प्राधिकरण के समक्ष किया जा सकता है अथवा इसे राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा सृजित पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है। सम्बन्धित जिला विधिक सेवा प्राधिकरण का सचिव उसके समक्ष आये आवेदन पर योजना के अनुसार विचार करेगा। स्पष्टीकरणः— मा0 उच्चतम न्यायालय ने W.P.CRML 129/2006 आदेश दिनांक 10.04.2015 लक्ष्मी बनाम भारत संघ में दिये गये निर्णय के अनुसार तेजाब हमले से पीड़ित व्यक्ति को प्रतिकर की धनराशि आपराधिक क्षति प्रतिकर धनराशि बोर्ड जिसमें जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जिला मजिस्ट्रेट, पुलिस अधीक्षक/जिले के मुख्य चिकित्सा अधिकारी /सिविल सर्जन होंगे।
सहायता जो राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण /जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा अधिनिर्णीत की जा सकती है।	7.	राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण अथवा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण पीड़ित अथवा उसके आश्रितों को प्रतिकर संलग्न अनुलग्नक के अनुसार निर्धारित सीमा तक निर्दिष्ट कर सकता है।
प्रतिकर/सहायता धनराशि अधिनिर्णीत करते समय जिन बिन्दुओं को ध्यान रखा जाना	8.	हानि या क्षति से पीड़ित व्यक्तियों को प्रतिकर के मामलो का निर्धारण करते समय राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण/जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा निम्न कारकों को ध्यान में रखा जायेगा :— (1) अपराध की तीव्रता तथा मानसिक अथवा शारीरिक क्षति अथवा पीड़ित द्वारा सही गयी क्षति; (2) पीड़ित के शारीरिक/मानसिक स्वास्थ्य के चिकित्सा व्यय या पीड़ित के उपचार पर खर्च होने की सम्भावना, जिसमें पीड़ित को परामर्श,दाह—संस्कार, जांच—पड़ताल/पूछताछ/परीक्षण के दौरान की गयी यात्रा, पर व्यय (आहार के पैसे के अतिरिक्त) सम्मिलित होगें; (3) अपराध के फलस्वरूप मानसिक आघात, शारीरिक चोट, चिकित्सा उपचार, जांच तथा अपराध के परीक्षण अथवा अन्य कारण से स्कूल/कॉलेज से अनुपस्थिति सहित शैक्षणिक अवसर की हानि; (4) अपराध के फलस्वरूप मानसिक आघात/शारीरिक चोट के कारण चिकित्सा परिचर्या/अन्वेषण अथवा विचारण अथवा किसी अन्य कारण के परिणामस्वरूप रोजगार के स्थान से अनुपस्थिति सहित रोजगार की हानि; (5) पीड़ित का अपराधी के साथ सम्बन्ध यदि कोई है; (6) क्या दुर्व्यवहार एक अलग घटना थी अथवा निर्धारित समयावधि में दुर्व्यहार घटित हुआ; (7) क्या पीड़िता अपराध के कारण गर्भवती हुयी अथवा पीड़िता को गर्भपात कराना पड़ा अथवा पीड़िता के द्वारा बच्चे को जन्म

देने की स्थिति में ऐसे बच्चे के पुनर्वास सम्बन्धी आवश्यकताएं;

(8) क्या पीड़िता अपराध के फलस्वरूप यौन संचारित बीमारी से पीड़ित हुयी;

(9) क्या पीड़िता अपराध के कारण एड्स से पीड़ित हुयी;

(10) अपराध के फलस्वरूप पीड़िता किसी विकलांगता का शिकार हुयी;

(11) पीड़िता की वित्तीय स्थिति जिसके विरूद्ध अपराध कारित किया गया, जिससे कि उसके पुनर्वास तथा पुनःएकीकरण की आवश्यकता का निर्धारण किया जा सके;

(12) यदि पीड़ित/पीड़िता की मृत्यु कारित हुयी हो तब मृतका की आयु, उसकी मासिक आय, उसके आश्रितों की संख्या, जीवन सम्भाव्यता, भविष्य की पदोन्नति/विकास के अवसर आदि का निर्धारण;

(13) अन्य कोई कारक जो राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण/जिला विधिक सेवा प्राधिकरण न्यायपूर्ण तथा पर्याप्त समझे।

प्रतिकर स्वीकृत किये जाने की प्रक्रिया

9. (1) जहां भी, संहिता की धारा 357क की उपधारा (2) व (3) के अधीन न्यायालय द्वारा प्रतिकर दिये जाने की संस्तुति की जाती है, अथवा पीड़ित व्यक्ति अथवा उसके आश्रितों द्वारा संहिता की धारा 357क की उपधारा (4) के अधीन राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण अथवा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के समक्ष आवेदन किया जाता है, तब अन्तरिम सहायता धनराशि प्रदान किये जाने हेतु प्रथम दृष्टया मुआवजे की आवश्यकता का आंकलन और पीड़ित के पहचान की कार्यवाही की जायेगी।

अंतिम मुआवजे हेतु प्रकरण की जांच और दावे से सम्बन्धित तथ्यों –अपराध घटित होने के फलस्वरूप पीड़ित को हुई क्षति/चोट अथवा पुनर्वास सम्बन्धी आवश्यकताओं का परीक्षण किया जायेगा और दावे के निस्तारण हेतु कोई अन्य संगत सूचना को मंगा सकता है;

परन्तु पात्र प्रकरणों में अथवा तेजाब से आक्रमण के समस्त प्रकरणों में घटना घटित होने के पश्चात किसी भी समय सचिव, राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण/जिला विधिक सेवा प्राधिकरण स्वतः अथवा तथ्यों का प्रारम्भिक सत्यापन करने के पश्चात अन्तरिम सहायता धनराशि प्रदान करने की कार्यवाही कर सकते है जैसा कि प्रत्येक प्रकरण की परिस्थितियों के अनुसार आवश्यक हो।

(2) संहिता की धारा 357क की उपधारा (5) के अन्तर्गत जांच शीघ्रता से समाप्त की जायेगी तथा किसी भी स्थिति में दावा/याचिका या संस्तुति की प्राप्ति से साठ दिनों से अधिक नहीं हो सकती, परन्तु तेजाब हमले के मामले को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के संज्ञान में लाये जाने के 15 दिनों के भीतर पीड़ित को रू0 01 लाख का प्रतिकर दिया जायेगा। अन्तरिम मुआवजा देने वाले आदेश के मामले को 07 दिनों के अन्दर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा पारित किया जायेगा और राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण आदेश पारित होने के आठ दिनों के भीतर मुआवजे का भुगतान करेगा। इसके बाद पीड़ित को रू0 02 लाख का भुगतान यथासम्भव शीघ्र तथा निश्चित रूप से पहले भुगतान करने के दो माह के भीतर किया जायेगा, परन्तु यह और कि इस योजना के अन्तर्गत पीड़ित को अनुमन्य अनुदान आगे भी दिया जा सकेगा।

(3) मामले पर विचार करने के पश्चात राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण अथवा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण जैसी भी स्थिति हो, अपने समाधान पर पीड़ित को या उसके आश्रित को दिये जाने वाले मुआवजे की मात्रा का निर्णय योजना के प्रस्तर 08 में दिये गये कारकों एवं इस योजना की अनुसूची के अनुसार करेगा।

परन्तु, पात्र मामलों में, अभिलिखित किये जाने वाले कारणों पर ऊपरी सीमा को बढ़ाया जा सकता है। इसके अलावा, यदि पीड़ित नाबालिग है, तो मुआवजे की सीमा को इस योजना के साथ संलग्न अनुसूची में उल्लिखित राशि से 50 प्रतिशत अधिक माना जायेगा।

एसिड हमले के पीड़ित प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष ज्ञाप सं0 24013/94/Misc/2014–CSR-III111/GOI/MHA दिनांक 09.11.2016 के अन्तर्गत रू0 एक लाख की अतिरिक्त धनराशि प्राप्त करने के हकदार होंगे। एसिड हमले के पीड़ित जिन्हें उत्तराखण्ड राज्य के द्वारा प्रदत्त मुआवजे से अधिक की धनराशि इलाज के खर्च में दिये जाने की आवश्यकता है, की पूर्ति हेतु रू0 05 लाख तक की धनराशि अतिरिक्त विशेष वित्तीय सहायता सी बी सी एस फन्ड मार्गदर्शिका–2016, संख्या 24013/94/Misc/2014–CSR-III 111, MHA GoI दिनांक 09.11.2016 के अन्तर्गत प्रदान की जायेगी।

(4) इस योजना के सफल/सुचारू क्रियान्वयन के लिये राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण/जिला विधिक सेवा प्राधिकरण किसी भी प्राधिकारी/संस्थान/व्यक्ति विशेष/पुलिस/कोर्ट/विशेषज्ञ से कोई अभिलेख मांग सकेगा अथवा सहायता ले सकेगा।

(5) यदि परीक्षण/अपीलीय अदालत यह निष्कर्ष देती है कि आपराधिक शिकायत और आरोप झूठे थे, तो विधिक सेवा प्राधिकरण मुआवजे यदि कोई, इस योजना के अन्तर्गत अंशतः अथवा पूर्णतः प्रदत्त किया गया हो की वसूली हेतु, सम्बन्धित के विरूद्ध परीक्षण न्यायालय में मुकदमा चला सकेगी, जैसे वह कोई जुर्माना है।

आदेश को अभिलिखित किया जाना	10.	इस योजना के अन्तर्गत पारित अन्तरिम या अन्तिम मुआवजे के आदेश की प्रतिलिपि परीक्षण न्यायालय के रिकार्ड पर रखी जायेगी ताकि परीक्षण न्यायालय को संहिता की धारा 357 के अन्तर्गत मुआवजे का उचित आदेश पारित करने में सक्षम हो सके। यदि मामले की जांच लम्बित है तो आदेश की सत्य प्रतिलिपि विवेचना अधिकारी व पीड़ित/उसके आश्रितों को, जैसा भी स्थिति हो, दी जायेगी।
मुआवजा राशि/बांटे जाने की रीति	11.	(1) इस तरह से दिये गये मुआवजे की धनराशि राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा पीड़ित अथवा उसके आश्रितों के एकल अथवा संयुक्त खाते में जमा करके वितरित की जायेगी। यदि पीड़ित के नाम बैंक खाता नहीं है तब सम्बन्धित जिला विधिक सेवा प्राधिकरण पीड़ित/आश्रित को बैंक खाता खोलने की सुविधा उपलब्ध करायेगा और यदि पीड़ित अवयस्क है तब अवयस्यक का खाता अभिभावक के साथ, यदि पीड़ित बाल संरक्षण संस्था में है, तब बैंक खाता संस्थान के अधीक्षक के साथ खोला जायेगा। परन्तु, यदि पीड़ित विदेशी नागरिक या शरणार्थी है तो कैश कार्ड के माध्यम से क्षतिपूर्ति की जा सकती है। अन्तरिम धनराशि पूर्ण रूप से वितरित की जायेगी। जहां तक अन्तिम मुआवजे का प्रश्न है, 75 प्रतिशत (पच्चहतर प्रतिशत) धनराशि को तीन साल की अवधि के लिये एक सावधि खाते में रखा जाएगा और शेष 25 प्रतिशत (पच्चीस प्रतिशत) धनराशि पीड़ित/आश्रित के प्रारम्भिक खर्चों के लिये रखी जायेगी, जैसा भी मामला हो।

(2) अवयस्क के मामले में, मुआवजे की अधिनिर्णीत राशि का 80 प्रतिशत (अस्सी प्रतिशत)सावधि खाते में जमा किया जायेगा और केवल वयस्कता आयु प्राप्त करने पर ही निकाला जायेगा, लेकिन जमा के तीन साल पहले नहीं निकाला जा सकेगा परन्तु आपवादिक मामले में, शैक्षिक अथवा चिकित्सकीय आवश्यकताओं अथवा लाभार्थी की तत्काल आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण/जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के विवेक पर धनराशि निकाली जा सकती है।

(3) सावधि जमा पर प्राप्त ब्याज बैंक द्वारा सीधे पीड़ित/आश्रित के बचत खाते में मासिक आधार पर जमा किया जायेगा जिसे हिताधिकारी द्वारा निकाला जा सकता है।

पीड़ित को अन्तरिम सहायता

12. राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण अथवा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण पीड़ित/आश्रित के आवेदन पर अथवा स्वतः अथवा थाना प्रभारी से अन्यून स्तर के पुलिस अधिकारी अथवा सम्बन्धित क्षेत्र के मजिस्ट्रेट के प्रमाण–पत्र पर पीड़िता की पीड़ा को कम करने के लिये, जैसा भी मामला हो, तत्काल प्राथमिक चिकित्सा सुविधा या चिकित्सा लाभ मुफ्त में उपलब्ध कराये जाने का आदेश पारित कर सकता है या कोई अन्य अन्तरिम राहत (अंतरिम आर्थिक सहायता) प्रदान कर सकता है: परन्तु यह कि जैसे ही मुआवजे का आवेदन राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण/जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को प्राप्त होता है रू0 5,000(पाँच हजार रूपये) अथवा रू0 10,000(दस हजार रूपये) की धनराशि, जैसी आवश्यकता हो, राष्ट्रीयकृत बैंक से प्रीलोडेड कैश कार्ड के माध्यम से सदस्य सचिव, राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण अथवा सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा तत्काल वितरित किया जायेगा;

परन्तु, यह और कि स्वीकृत अन्तरिम राहत, जो कि इस योजना के लिये लागू होने वाले अधिकतम मुआवजे के 25 प्रतिशत (पच्चीस प्रतिशत) से कम नहीं होगी, पीड़ित को पूर्णतः भुगतान की जायेगी;) परन्तु यह भी कि एसिड अटैक के मामले में प्रकरण राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण/जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के संज्ञान में लाए जाने पर 15 दिनों के भीतर पीड़ित को रू0 एक लाख का भुगतान किया जायेगा। प्रकरण राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण/जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के संज्ञान में आने पर 07 दिनों के भीतर अन्तरिम प्रतिकर आदेश पारित किया जायेगा और राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण आदेश पारित होने के 08 दिनों के भीतर मुआवजे का भुगतान करेगा। तत्पश्चात् रू0 02 लाख (दो लाख रूपये) की अतिरिक्त धनराशि पीड़ित को यथासम्भव व निश्चित रूप से 02 माह के अन्दर प्रदान की जायेगी।

पीड़ित या उसके आश्रित /आश्रितों को दिये गये मुआवजे की वसूली

13. संहिता की धारा 357क की उपधारा 3 के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, उचित मामलों में, हानि या क्षति के लिए जिम्मेदार व्यक्ति/ व्यक्तियों से पीड़ित अथवा उसके आश्रितों को स्वीकृत प्रतिकर राशि की वसूली के लिए सक्षम न्यायालय के समक्ष कार्यवाही संस्थित कर सकता हैं। उक्त

धनराशि, जो वसूल की गई है, महिला पीड़ित प्रतिकर निधि में जमा की जाएगी।

आश्रित प्रमाण–पत्र 14. आश्रित प्रमाण–पत्र जारी करने हेतु सशक्त प्राधिकारी इसे 15 दिन के भीतर जारी करेगा और, किसी भी मामले में, उक्त अवधि को बढ़ाया नहीं जायेगा;

परन्तु आश्रित प्रमाण–पत्र जारी न होने की दशा में, उक्त 15 दिन की अवधि समाप्त होने के पश्चात्, राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण/जिला विधिक सेवा प्राधिकरण दावाकर्ता से शपथ–पत्र प्राप्त कर अग्रेत्तर कार्यवाही कर सकता है।

अवयस्क पीड़ित 15. यदि पीड़ित किसी माता–पिता या कानूनी अभिभावक के बिना अनाथ अवयस्क है तो तत्काल राहत या अन्तरिम प्रतिकर बच्चे के बैंक खाते में वितरित किया जायेगा, जिसे अधीक्षक, बाल संरक्षण संस्थान(जहां बच्चे निवासरत है) की संरक्षा में खोला गया हो अथवा ऐसा न होने पर सम्बन्धित आहरण वितरण अधिकारी/उपजिलाधिकारी की संरक्षा में, जैसा भी मामला हो।

परिसीमा 16. इस योजना के अन्तर्गत संहिता की धारा 357क की उप धारा (4) के तहत अपराध की घटना की तारीख अथवा मुकदमें की समाप्ति के 3 वर्ष की अवधि के पश्चात् पीड़ित या उसके आश्रितों द्वारा किया गया कोई दावा स्वीकार नहीं किया जायेगा। यद्यपि, पात्र मामलों में, इस सम्बन्ध में किये गये आवेदन में उल्लिखित कारणों पर, तीन साल से अधिक की देरी को राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण/जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा छूट दी जा सकती है।

अपील 17. यदि पीड़ित अथवा उसके आश्रित सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा दिये गये मुआवजे की मात्रा से संतुष्ट नहीं है, तो वे अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के समक्ष आदेश प्राप्त होने की तिथि से 30 दिनों के भीतर अपील दायर कर सकते हैं;

परन्तु पात्र मामलों में इस सम्बन्ध में दिए गये आवेदन पर अपील किये जाने में हुए विलम्ब के कारण को अभिलिखित करने पर अपीलीय प्राधिकारी इसमें छूट प्रदान कर सकता है।

निरसन एवं व्यावृत्ति 18. इस योजना की कोई बात पीड़ित अथवा उसके आश्रितों को अपराधकर्ता अथवा अन्य किसी व्यक्ति, जो अप्रत्यक्ष रूप से उसके लिए जिम्मेदार है, के विरूद्ध दावा करने अथवा दीवानी मुकदमा संस्थित करने से प्रविरत नहीं करेगी।

स्पष्टीकरणः यह स्पष्ट किया जाता है कि यह योजना पॉक्सो अधिनियम 2012 के अन्तर्गत अवयस्क पीडितों पर लागू नहीं होती है क्योंकि उनके प्रतिकर सम्बन्धी मुद्दों को केवल लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 की धारा 33(8) एवं नियम 7 के अन्तर्गत गठित विशेष अदालतों द्वारा व्यवहृत किये जाते हैं।

(नितेश कुमार झा)
सचिव

अपराधों से पीड़ित महिलाओं पर लागू 'अनुसूची'

क्रम सं.	हानि या चोट का विवरण	क्षतिपूर्ति की न्यूनतम सीमा सीमा (रूपये में)	क्षतिपूर्ति की अधिकतम सीमा (रूपये में)
01	जीवन क्षति	5 लाख	10 लाख
02	सामूहिक बलात्कार	5 लाख	10 लाख
03	बलात्कार	4 लाख	7 लाख
04	अप्राकृतिक यौन उत्पीड़न	4 लाख	7 लाख
05	किसी भी अंग अथवा शरीर की हानि, जिस कारण 80 फीसदी अथवा अधिक की स्थायी विकलांगता	2 लाख	5 लाख
06	किसी भी अंग अथवा शरीर की हानि, जिस कारण 40 फीसदी से अधिक एवं 80 फीसदी से कम की स्थायी विकलांगता	2 लाख	4 लाख
07	किसी भी अंग अथवा शरीर की हानि, जिस कारण 20 फीसदी से अधिक एवं 40 फीसदी से कम की स्थायी विकलांगता	1 लाख	3 लाख
08	किसी भी अंग अथवा शरीर का नुकसान, जिस कारण 20 फीसदी से कम की स्थायी विकलांगता	1 लाख	2 लाख
09	शारीरिक क्षति अथवा कोई मानसिक क्षति, जिसमें पुनर्वास की आवश्यकता हो	1 लाख	2 लाख
10	भ्रूण की हानि अर्थात् हिंसा के फलस्वरूप गर्भपात अथवा प्रजनन क्षमता की हानि	2 लाख	3 लाख
11	बलात्कार के कारण गर्भावस्था के मामले में	3 लाख	4 लाख
	12. जलने के कारण पीड़ितः		
	विरूपता के मामले में	7 लाख	8 लाख
ख	50 फीसदी से अधिक के मामले में	5 लाख	8 लाख
ग	20 फीसदी से अधिक एवं 50 फीसदी से कम हानि के मामले में	3 लाख	7 लाख
घ	20 फीसदी से कम के मामले में	2 लाख	3 लाख
	13. एसिड हमले में पीड़ितः		
क	चेहरे की विरूपता के मामले में	7 लाख	8 लाख
ख	50 फीसदी से अधिक क्षति के मामले में	5 लाख	8 लाख
	20 फीसदी से अधिक एवं 50 फीसदी से कम क्षति के मामले में	3 लाख	5 लाख
घ	20 फीसदी से कम क्षति के मामले में	3 लाख	4 लाख

नोटः-यदि कोई यौन हिंसा/एसिड हमले में पीड़ित महिला उक्त अनुसूची की एक या अधिक श्रेणी से आच्छादित हो तो, वह मुआवजे की समेकित धनराशि की हकदार होगी।

महिलाओं के प्रति घटित साईबर अपराध

थाने पर साईबर सम्बन्धी शिकायतकर्ता/पीड़िता के आने पर की जाने वाली कार्यवाही :–

1. थाने पर आई साइबर अपराध से संबंधित पीड़िता को प्रभारी महिला हेल्प डेस्क द्वारा ध्यानपूर्वक सुना जाये।
2. पीड़िता से उसके साथ घटित अपराध (यदि आर्थिक अपराध नही है तो) से संबंधित सभी का स्क्रीन शॉट तत्काल ले लिया जाये।
3. पीड़िता से सोशल मीडिया प्लेटफार्म (फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर आदि) का यू0आर0एल0/आईडी अवश्य प्राप्त कर ले।
4. यदि किसी पीड़िता का कोई प्राईवेट वीडियों किसी प्लेटफार्म पर डाला गया है तो विडियो की स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर संरक्षित कर लिया जाये।
5. संरक्षित वीडियो को जॉच हेतु Whatsapp आदि के माध्यम से स्वयं प्रसारित न किया जाये सिर्फ वीडियो का यू0आर0एल0/आई0डी0 उपलब्ध कराया जाये।
6. सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर स्क्रीन शॉट व वीडियो का स्क्रीनशार्ट लेते समय दिनांक व समय भी अवश्य अंकित किया जाये।

पीडित महिलाओं की सहायता हेतु संबंधित विभागों की सम्पर्क सूची

जनपदों पर स्थापित वन स्टाप सेन्टर के प्रभारी के नाम एवं मोबाईल नम्बर की सूची

क्र.सं.	जनपद	वन स्टाप सेन्टर प्रभारी	मोबाईल नम्बर
1	अल्मोडा	प्रमिला	9410712955
2	बागेश्वर	खष्टी	9410712955
3	चमोली	प्रियंका	7060832318
4	चम्पावत	नेहा	8445072982
5	देहरादून	माया नेगी	9690465299
6	हरिद्वार	प्रीती भंडारी	9760189006
7	पौडी	लक्ष्मी	9719621772
8	पिथौरागढ़	प्रेरिता	9410344888
9	रूद्रप्रयाग	रंजना	9639567065
10	टिहरी	रश्मि	9760357728
11	नैनीताल	सरोजिनी	9759749998
12	ऊधमसिंह नगर	कविता	9917931366
13	उत्तरकाशी	प्रमिला	9927461125

जिला प्रोवेशन अधिकारियों के सम्पर्क नम्बरों की सूची

क्र.सं.	जनपद	अध्यक्ष	मोबाईल नम्बर
1	अल्मोडा	पिताम्बर प्रसाद	05962 235796
2	बागेश्वर	अनुलेखा बिष्ट	05963 221515
3	चमोली	संदीप कुमार	01372 252436
4	चम्पावत	राजेन्द्र प्रसाद बिष्ट	05965 230942
5	देहरादून	अखिलेश मिश्रा	0135 2521242
6	हरिद्वार	सुलेखा	01334 239045
7	पौडी	जितेन्द्र कुमार	01368 223887
8	पिथौरागढ़	संजय गौरव	05642 27890
9	रूद्रप्रयाग	शेली प्रजापति	01364 23606
10	टिहरी	बबीता शाह	01378 227185
11	नैनीताल	मुकुल चौधरी	05942 248322
12	ऊधमसिंह नगर	यू0पी0 सिंह	059944 250443
13	उत्तरकाशी	नीतू फूलेरा	01374 222906

राज्य एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण का नाम व सम्पर्क नम्बर की सूची

क्र.सं.	राज्यविधिक सेवा प्राधिकरण	मोबाईल नम्बर
1	जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अल्मोडा	05962 231105
2	जिला विधिक सेवा प्राधिकरण बागेश्वर	05963 221844
3	जिला विधिक सेवा प्राधिकरण चमोली	01372 251529
4	जिला विधिक सेवा प्राधिकरण चम्पावत	05962 230915
5	जिला विधिक सेवा प्राधिकरण देहरादून	0135 520873
6	जिला विधिक सेवा प्राधिकरण हरिद्वार	01334 239780
7	जिला विधिक सेवा प्राधिकरण पौडी गढ़वाल	01368 221815
8	जिला विधिक सेवा प्राधिकरण पिथौरागढ़	05964 228322
9	जिला विधिक सेवा प्राधिकरण रूद्रप्रयाग	01364 233796
10	जिला विधिक सेवा प्राधिकरण टिहरी	01376 233424
11	जिला विधिक सेवा प्राधिकरण नैनीताल	05942 237159
12	जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ऊधमसिंह नगर	05944 250682
13	जिला विधिक सेवा प्राधिकरण उत्तरकाशी	01374 222711

उत्तराखण्ड के चाईल्ड वेलफेयर कमेटी के सम्पर्क नम्बरों की सूची

क्र.सं.	जनपद	अध्यक्ष	मोबाईल नम्बर
1	अल्मोडा	रघुदत्त तिवारी	9412092426
2	बागेश्वर	दीवान सिंह दानू	9410182087
3	चमोली	हेमलता भट्ट	9719073916
4	चम्पावत	सुन्दर चन्द्रा शाह	9412439009
5	देहरादून	राशि कुलश्रेष्ठ	9142144435
6	हरिद्वार	अंजना सैनी	9760978399
7	पौडी	आलोक बौदाई	8630038053
8	पिथौरागढ़	लक्ष्मी भट्ट	9410163524
9	रूद्रप्रयाग	शम्भू सिंह रावत	9837410889
10	टिहरी	रमेश चन्द्र रतूड़ी	9917081718
11	नैनीताल	राजेन्द्र प्रसाद पन्त	9412075591
12	ऊधमसिंह नगर	प्रेमलता सिंह	7500031941
13	उत्तरकाशी	उत्तम सिंह गुसांई	9410752070

सम्पादकीय पताः

उत्तराखण्ड पुलिस मुख्यालय

12, सुभाष रोड़, देहरादून – 248001

दूरभाष : 0135–2712685